

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

सूचना

केओसुब में खेल कोटे के अंतर्गत प्रधान आरक्षक (सामान्य ड्यूटी) के पद पर उत्कृष्ट पुरुष तथा महिला खिलाड़ियों की भर्ती-2023

ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि : 30/10/2023 से 28/11/2023 तक  
अंतिम तिथि 28/11/2023 (23.00 बजे तक)

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में पात्र भारतीय पुरुष एवं महिला नागरिकों से पे लेवल-4 (रु. 25,500 से 81,100/-) में तथा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को समय समय पर देय सामान्य भत्तों सहित खेल कोटा-2023 के अधीन प्रधान आरक्षक (सामान्य ड्यूटी) के 215 पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। नियुक्ति होने पर, वे केओसुब अधिनियम एवं नियम के साथ-साथ समय-समय पर बल के अन्य सदस्यों पर लागू केन्द्रीय सिविल सेवा द्वारा अधिशासित होंगे। वे 01 जनवरी, 2004 को अथवा बाद में केन्द्र सरकार की सेवा में कार्यभार ग्रहण करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के रूप में ज्ञात "परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली" के अनुसार पेंशन संबंधी लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे। भर्ती प्रक्रिया में, ट्रायल परीक्षण, दक्षता परीक्षण, शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी), दस्तावेजीकरण और चिकित्सा परीक्षण होंगे। भर्ती की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :-					
1.1	आवेदन पत्रों को केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किया जाएगा।				
1.2	भर्ती में निम्नलिखित 2 चरण होंगे:- <b>1. प्रथम चरण</b>  क) ट्रायल परीक्षण। ख) दक्षता परीक्षण। ग) शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) घ) दस्तावेजीकरण।  <b>2. दूसरा चरण</b>  चिकित्सा परीक्षण				
1.3	खेल कूद के मूल प्रमाण-पत्रों सहित अपेक्षित प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों का सत्यापन दस्तावेजीकरण के समय किया जाएगा।				
1.4	खेल कोटे के अधीन प्रधान आरक्षक (सामान्य ड्यूटी) की रिक्तियों को अखिल भारतीय स्तर पर भरा जाएगा।				
1.5	दक्षता परीक्षण के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा अर्जित किए गए अंकों के और अभ्यर्थियों द्वारा ट्रायल परीक्षण, दक्षता परीक्षण, शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी), दस्तावेजीकरण, चिकित्सा परीक्षण और इस अधिसूचना में निर्धारित अन्य शर्तों में अर्हता प्राप्त करने पर अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित खेल कूद की गतिविधियों में उत्कृष्टता प्रमाण-पत्र/उपलब्धि वाले अभ्यर्थियों को अंक प्रदान किए जाएंगे।				
1.6	अभ्यर्थियों को भर्ती के सभी चरणों के लिए बुलावा पत्र/प्रवेश पत्र केओसुब की भर्ती वेबसाइट <a href="https://www.cisfrectt.cisf.gov.in">https://www.cisfrectt.cisf.gov.in</a> पर केवल ऑनलाइन माध्यम से जारी किए जाएंगे जिन्हें डाउनलोड किया जा सकेगा और इन्हें डाक से नहीं भेजा जाएगा। अभ्यर्थियों को इसलिए सलाह दी जाती है कि वे केओसुब की भर्ती वेबसाइट को भर्ती प्रक्रिया पर किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से देखें। अभ्यर्थियों को अपने बुलावा/प्रवेश-पत्रों को परीक्षा देने के लिए लाना होगा।				
2.	<b>वेतनमान</b> : पे लेवल-4 (रु. 25,500-81,100)				
3.	<b>राष्ट्रीयता/नागरिकता</b> : अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए।				
4.	<b>रिक्तियां</b> :- रिक्तियों के खेलवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-				
क.सं.	खेल	पुरुष रिक्ति		महिला रिक्ति	
		स्पर्धा/भार श्रेणी		स्पर्धा/भार श्रेणी	
1.	एथलेटिक्स	100 मीटर	02	100 मीटर	01
		200 मीटर	01	200 मीटर	01
		400 मीटर	01	400 मीटर	01
		800 मीटर	03	800 मीटर	03
		1500 मीटर	03	1500 मीटर	03
		5000 मीटर	03	5000 मीटर	02

		10000 मीटर	03	10000 मीटर	02
		110 मीटर बाधा दौड़ (हर्डल)	01	100 मीटर बाधा दौड़ (हर्डल)	03
		400 मीटर बाधा दौड़ (हर्डल)	03	400 मीटर बाधा दौड़ (हर्डल)	03
		मैराथन (42.195 किमी)	03	3000 मीटर स्टीपलचेज	03
		20 किमी पैदल	03	10 किमी पैदल	02
		4 x 100 मीटर रिले	01	4 x 100 मीटर रिले	01
		4 x 400 मीटर रिले	01	शॉट पुट	01
		गोला फेंक (शॉट पुट)	02	हथौड़ा फेंक (हम्मर थ्रो)	01
		चक्का फेंक (डिस्कस् थ्रो)	02	ऊंची कूद	02
		हथौड़ा फेंक (हम्मर थ्रो)	01	पोल वॉल्ट	02
		भाला फेंक (जवेलिन थ्रो)	01	हेप्टाथलॉन	03
		लंबी कूद	01		
		ट्रिपल जंप	03		
		डेकाथलॉन	02		
		<b>कुल</b>	<b>40</b>	<b>कुल</b>	<b>34</b>
2.	बॉक्सिंग	48 किग्रा	01	48 किग्रा	01
		51 किग्रा	01	54 किग्रा	01
		54 किग्रा	01	60 किग्रा	01
		57 किग्रा	01	66 किग्रा	01
				70 किग्रा	01
				81 किग्रा से अधिक	01
		<b>कुल</b>	<b>04</b>	<b>कुल</b>	<b>06</b>
3.	बास्केट बॉल	बास्केट बॉल	08		
4.	फुटबॉल	फुटबॉल	07		
5.	जिम्नास्टिक	जिम्नास्टिक	02		
6.	हैंडबॉल	हैंडबॉल	05		
7.	हॉकी	हॉकी	02		
8.	शूटिंग	25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल	02	50 मीटर रायफल 3 पोजीशन	01
9.	तैराकी	200 मी. (फ्री स्टाइल)	01		
		800 मी. (फ्री स्टाइल)	01		
		1500 मी. (फ्री स्टाइल)	01		
		200 मी. (बटरफ्लाइ)	01		
		400 मी. व्यक्तिगत मिडले	01		
		200 मी. (बैक स्ट्रोक)	01		
		<b>कुल</b>	<b>06</b>		
10.	बालीबॉल	बालीबॉल (टीम स्पर्धा)	02		
11.	भारोत्तोलन	55 किग्रा	02	45 किग्रा	02
		61 किग्रा	01	49 किग्रा	01
		73 किग्रा	02	55 किग्रा	01
		81 किग्रा	02	59 किग्रा	01
		89 किग्रा	02	64 किग्रा	01
		96 किग्रा	02	71 किग्रा	01
		102 किग्रा	02	81 किग्रा	01
		109 किग्रा	02	87 किग्रा	01
		109 किग्रा से अधिक	02	87 किग्रा से अधिक	02
		<b>कुल</b>	<b>17</b>	<b>कुल</b>	<b>11</b>
12.	कुश्ती	57 किग्रा (फ्री स्टाइल)	01	50 किग्रा (फ्री स्टाइल)	01
		61 किग्रा (फ्री स्टाइल)	01	53 किग्रा (फ्री स्टाइल)	01
		65 किग्रा (फ्री स्टाइल)	01	55 किग्रा (फ्री स्टाइल)	01
		70 किग्रा (फ्री स्टाइल)	02	57 किग्रा (फ्री स्टाइल)	01

		74 किग्रा (फ्री स्टाइल)	02	59 किग्रा (फ्री स्टाइल)	02
		79 किग्रा (फ्री स्टाइल)	01	62 किग्रा (फ्री स्टाइल)	02
		86 किग्रा (फ्री स्टाइल)	02	65 किग्रा (फ्री स्टाइल)	02
		92 किग्रा (फ्री स्टाइल)	01	68 किग्रा (फ्री स्टाइल)	02
		97 किग्रा (फ्री स्टाइल)	01	72 किग्रा (फ्री स्टाइल)	02
		125 किग्रा (फ्री स्टाइल)	01	76 किग्रा (फ्री स्टाइल)	02
		55 किग्रा (ग्रीको रोमन)	03	<b>कुल</b>	<b>16</b>
		60 किग्रा (ग्रीको रोमन)	02		
		63 किग्रा (ग्रीको रोमन)	01		
		67 किग्रा (ग्रीको रोमन)	01		
		72 किग्रा (ग्रीको रोमन)	02		
		77 किग्रा (ग्रीको रोमन)	01		
		82 किग्रा (ग्रीको रोमन)	01		
		87 किग्रा (ग्रीको रोमन)	02		
		97 किग्रा (ग्रीको रोमन)	02		
		130 किग्रा (ग्रीको रोमन)	03		
		<b>कुल</b>	<b>31</b>		
13.	ताईक्वांडो	54 किग्रा	01		
		58 किग्रा	01		
		63 किग्रा	01		
		74 किग्रा	01		
		80 किग्रा	01		
		87 किग्रा	01		
		87 किग्रा से अधिक	01		
		<b>कुल योग</b>	<b>07</b>		
14.	बॉडी बिल्डिंग	55 किग्रा	01		
		60 किग्रा	02		
		65 किग्रा	02		
		70 किग्रा	02		
		75 किग्रा	01		
		80 किग्रा	01		
		85 किग्रा	02		
		90 किग्रा	01		
		100 किग्रा	01		
		100 किग्रा से अधिक	01		
		<b>योग</b>	<b>14</b>		
		<b>कुल योग</b>	<b>147</b>	<b>कुल योग</b>	<b>68</b>

4.1	प्रत्येक आयोजन में उपरोक्त दर्शाई गई रिक्तियों की संख्या संभावित है और ये भर्ती के किसी भी चरण में प्रशासनिक कारणों के कारण बढ़ अथवा घट सकती हैं। रिक्तियों में संशोधन, यदि कोई है, तो उसे केओसुब भर्ती वेबसाइट <a href="https://www.cisfrectt.cisf.gov.in">https://www.cisfrectt.cisf.gov.in</a> पर अंतिम परिणाम की घोषणा से पहले किसी भी चरण में अधिसूचित कर अपलोड कर दिया जाएगा।
4.2	नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थी भारतीय क्षेत्र में कहीं भी और विदेश में सेवा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
4.3	<b>पुरुष/महिला अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने किसी भी आवेदन पत्र को केवल एक स्पर्धा में ही प्रस्तुत करें। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक स्पर्धाओं के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं तो केवल एक स्पर्धा के आवेदन को ही आगे प्रक्रियाबद्ध किया जाएगा।</b>
4.4	ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र (अनुलग्नक-1 और 1।) भरते समय, अभ्यर्थियों को यह अवश्य सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके आवेदन पत्र में उनके पहचान पत्र की सही संख्या (अर्थात् आधार संख्या, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई डी कार्ड, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र अथवा आयकर पैन कार्ड संख्या) भरनी चाहिए। उसे भर्ती के प्रत्येक चरण के दौरान परीक्षा केन्द्र पर प्रस्तुत किया जाएगा। अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक डाटा भर्ती के चरण के दौरान रिकार्ड किया जाएगा और अभ्यर्थी की पहचान का सत्यापन करने के लिए भर्ती के बाद के चरणों में प्रयोग किया जाएगा।
4.5	अभ्यर्थियों को अपनी सभी मूल शैक्षिक/जाति/खेलकूद के प्रमाण पत्रों और अन्य दस्तावेजों को ट्रॉयल परीक्षण, दक्षता परीक्षण, पीएसटी, दस्तावेजीकरण के समय समुचित जांच/छटनी के लिए लाना होगा। यदि कोई पुरुष/महिला अभ्यर्थी अपनी पात्रता के समर्थन में अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो उसकी अभ्यर्थिता सीधे ही निरस्त कर दी जाएगी और किसी अन्य दिन दस्तावेजीकरण के लिए उसकी निरस्तीकरण के विरुद्ध कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी और भर्ती के अगली प्रक्रिया में उन्हें भाग लेने के लिए अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
4.6	ये पद वर्दीधारी हैं और पूर्णतया अस्थायी हैं परंतु इनके स्थायी किए जाने की संभावना है।
4.7	आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के संबंध में जिनका निम्नलिखित विवरण वाले जाति प्रमाण-पत्रों को निर्धारित प्रमाण पत्र के अनुसार स्वीकार किया जा सकता है:- क) अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम तथा उससे संबंधित स्थान/गांव/कस्बा जिससे वे संबंध रखते हैं। ख) उपयुक्त/निर्धारित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र। ग) जाति प्रमाण पत्र में भारत सरकार के प्राधिकरण/संकल्प को सही तरीके से उल्लिखित किया गया है जो यह सिद्ध कर सके कि आरक्षित श्रेणी के अधीन एक अभ्यर्थी का दावा वास्तविक है। घ) अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र में यथा उल्लिखित जाति उस श्रेणी के लिए केन्द्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित समेकित सूची में उपलब्ध है।
4.8	<b>भर्ती केवल उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए है जो पैरा-6.3 के अनुसार मेडल विजेता/पोजीशन और/अथवा प्रतिभागी हैं।</b>
5.	<b>प्रमुख विशेषताएं:</b>
5.1	आवेदन-पत्रों को केवल केओसुब की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् <a href="https://www.cisfrectt.cisf.gov.in">https://www.cisfrectt.cisf.gov.in</a> पर ऑनलाइन माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आवेदन पत्र को प्रस्तुत करने का कोई अन्य माध्यम अनुमत नहीं है।
5.2	सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों से 100/- रु. का आवेदन शुल्क लिया जाएगा। महिला अभ्यर्थियों और ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की श्रेणियों से संबंधित हैं, उन्हें आवेदन शुल्क अदायगी से छूट प्राप्त है। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अपनी स्थिति सिद्ध करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि भर्ती के किसी बाद के चरण में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उनकी स्थिति के बारे में दावे अथवा उनके द्वारा अन्य किसी लाभ प्राप्त करने के बारे में पता चलता है तो उनकी अभ्यर्थिता सीधे निरस्त कर दी जाएगी।
5.3	भर्ती प्रक्रिया के प्रथम चरण के पूरा होने के पश्चात अनंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी और उसे केओसुब की भर्ती वेबसाइट <a href="https://www.cisfrectt.cisf.gov.in">https://www.cisfrectt.cisf.gov.in</a> पर प्रदर्शित किया जाएगा।
5.4	अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को चिकित्सा परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा।
5.5	अनंतिम चयन सूची में नाम आने से चयन की गारंटी नहीं मिल जाती है।
5.6	निर्विघ्न, पारदर्शी और सही भर्ती का संचालन करने के लिए बल पर्याप्त उपायों और आधुनिक तौर तरीकों का पालन करेगा।
6.	<b>पात्रता मानदंड</b>

6.1	<b>शैक्षिक अर्हताएं:</b>	
	खेल, खेलकूद और एथलेटिक्स में राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व के साथ एक मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान से 12वीं पास। (राज्य बोर्ड/केन्द्रीय बोर्ड के अलावा शैक्षणिक प्रमाण-पत्र भारत सरकार की अधिसूचना के साथ होने चाहिए जिसमें यह उद्घोषणा होनी चाहिए कि ऐसी योग्यता केन्द्र सरकार के तहत सेवा के लिए 12वीं कक्षा के समतुल्य है।)	
6.2	<b>आयु सीमा :- 01.08.2023 को 18 से 23 वर्ष के बीच।</b> (अभ्यर्थी का जन्म 02.08.2000 से पहले और 01.08.2005 के बाद का नहीं होना चाहिए।)	
6.2.1	विभिन्न श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अनुमत छूट निम्नानुसार हैं:-	
	<b>क.सं.</b>	<b>श्रेणी</b>
		<b>ऊपरी आयु सीमा से अधिक अनुमत आयु में छूट</b>
	i)	अनुसूचित जाति/जनजाति
		ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष तक
	ii)	अन्य पिछड़ा वर्ग
		ऊपरी आयु सीमा में 03 वर्ष तक
	iii)	विभागीय अभ्यर्थी जिन्होंने केन्द्र सरकार के तहत न्यूनतम 3 वर्षों की सतत सेवा प्रदान की है।
		ऊपरी आयु सीमा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 45 वर्ष तक ऊपरी आयु सीमा में सामान्य/आर्थिक रूप से पिछड़े/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष तक
6.3	<b>खेलकूद के आयोजनों में सहभागिता :-</b>	
	<b>खेलकूद योग्यता</b>	<b>खेल कोटा के तहत प्रधान आरक्षक/जीडी पद के लिए</b>
	व्यक्तिगत आयोजन	i) अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में सीनियर/जूनियर सदस्य के रूप में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया हो अथवा ii) राष्ट्रीय खेलों/राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में सीनियर/जूनियर स्तर पर एक राज्य अथवा समतुल्य इकाई का प्रतिनिधित्व किया हो अथवा iii) अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय चैम्पियनशिप में कोई पदक जीता हो अथवा iv) राष्ट्रीय विद्यालय खेलों/चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक।
	टीम आयोजन	i) अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में सीनियर/जूनियर स्तर पर एक सदस्य के रूप में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया हो अथवा ii) राष्ट्रीय खेलों/चैम्पियनशिप में राज्य स्तरीय टीम अथवा समतुल्य इकाई का सीनियर/जूनियर स्तर पर प्रतिनिधित्व किया हो अथवा iii) अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय चैम्पियनशिप में पदक जीतने वाली टीम का सदस्य रहा हो अथवा iv) राष्ट्रीय विद्यालय खेलों/चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीता हो  टिप्पणी - खिलाड़ी को टीम का खेलने वाला सदस्य होना चाहिए।
6.3.1	<b>टिप्पणी :</b>	
	वे अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन प्रपत्र के प्राप्त होने की अंतिम तिथि को आवश्यक शैक्षिक योग्यताओं को प्राप्त नहीं किया होगा वे पात्र नहीं होंगे और उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।	
6.3.2	केवल वे उत्कृष्ट पुरुष एवं महिला खिलाड़ी जो उपरोक्त पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और जिन्होंने <b>01/01/2021 से 28/11/2023 की अवधि के दौरान संबंधित खेलों/चैम्पियनशिप में भाग लिया है, वे पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।</b>	
6.3.3	एक आवेदन पत्र पर केवल उस प्रमाण के आधार पर ही विचार किया जाएगा जिसे आवेदक द्वारा किसी एक प्रतिस्पर्धा/टूर्नामेंट/खेल में प्रतिनिधित्व करने के रूप में प्रस्तुत किया जा सके।	
6.3.4	निम्नलिखित प्राधिकरण द्वारा आयोजित की गई चैम्पियनशिप/खेलों पर ही विचार किया जाएगा:-	

		क) युवा मामले और खेल-कूद मंत्रालय द्वारा अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट।					
		ख) युवा मामले और खेल-कूद विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल फेडरेशनों द्वारा आयोजित सीनियर/जूनियर स्तर की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप अथवा भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेल।					
		ग) भारतीय विश्वविद्यालय संघ/अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद बोर्ड द्वारा आयोजित अंतर विश्वविद्यालय प्रतिस्पर्धा।					
		घ) अखिल भारतीय विद्यालय खेलकूद संघ द्वारा स्कूलों के लिए आयोजित राष्ट्रीय खेलकूद/खेल।					
6.3.5		<b>खेल प्रमाण-पत्र के अलावा, निम्नलिखित प्राधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित निर्धारित प्रपत्र में जारी किए गए प्रमाण-पत्र (प्रपत्र) भी अपेक्षित होंगे।</b>					
		<b>क.स.</b>	<b>प्रतिस्पर्धा</b>	<b>प्रमाण पत्र देने वाला प्राधिकारी</b>	<b>नमूना</b>		
		1.	अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा	संबंधित खेलों के राष्ट्रीय फेडरेशन का सचिव।	परिशिष्ट-‘क’		
		2.	राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा	राष्ट्रीय फेडरेशन का सचिव अथवा संबंधित खेलों के राज्य फेडरेशन का सचिव।	परिशिष्ट-‘ख’		
		3.	अंतर-विश्व विद्यालय टूर्नामेंट	संबंधित विश्वविद्यालय के खेलों का डीन (अध्यक्ष) अथवा खेलों के समग्र प्रभार वाला अन्य पदाधिकारी।	परिशिष्ट-‘ग’		
		4.	स्कूलों के लिए राष्ट्रीय खेलकूद/खेल	राज्य के लोक अनुदेशों/शिक्षा निदेशालय में स्कूलों के लिए खेलों के समग्र प्रभार में निदेशक अथवा अपर/संयुक्त अथवा उप निदेशक।	परिशिष्ट-‘घ’		
6.3.6		उपर्युक्त प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण-पत्रों के अलावा, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में वास्तविक भागीदारी और उपलब्धि के आधार पर मान्यता प्राप्त फेडरेशनों/संघों द्वारा जारी प्रमाण पत्रों को अतिरिक्त महत्व दिया जा सकता है।					
6.3.7		यदि, राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय फेडरेशनों/राज्य संगठन में सचिव का पद नहीं है तो वरिष्ठ अधिकारियों और संबंधित खेल फेडरेशनों/संघों में सचिव से वरिष्ठ/से समतुल्य पदधारी द्वारा प्रमाण-पत्र/प्रपत्र हस्ताक्षर किए जाएंगे और उन्हें भर्ती के लिए उत्कृष्ट पुरुष एवं महिला खिलाड़ियों की पात्रता पर विचार करने के लिए स्वीकार किया जाएगा।					
6.4		<b>शारीरिक मानक:-</b>					
		<b>पुरुष अभ्यर्थियों के लिए</b>					
		क) कद (पैरा 6.4.1 में उल्लिखित के अलावा अनारक्षित, अनुसूचित जाति, आर्थिक रूप से पिछड़े और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए) – 167 सेमी					
		ख) सीना (पैरा 6.4.1 में उल्लिखित के अलावा अनारक्षित, अनुसूचित जाति, आर्थिक रूप से पिछड़े और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए) – 81-86 सेमी (5 सेमी के न्यूनतम फुलाव के साथ)					
		<b>महिला अभ्यर्थियों के लिए</b>					
		क) कद (पैरा 6.4.1 में उल्लिखित के अलावा अनारक्षित, अनुसूचित जाति, आर्थिक रूप से पिछड़े और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए) – 153 सेमी					
		ख) सीना – महिला अभ्यर्थियों के लिए सीना मापन के लिए कोई न्यूनतम आवश्यकता नहीं है।					
6.4.1		अभ्यर्थियों को विविध श्रेणियों के लिए शारीरिक मानक में अनुमत छूट निम्नानुसार है:-					
		<b>क.सं.</b>	<b>के लिए छूट</b>	<b>कद</b>	<b>सीना</b>		
				<b>पुरुष</b>	<b>महिला</b>		
				<b>पुरुष</b>	<b>महिला</b>		
		i)	<b>अनुलग्नक- “VI”</b> के अनुसार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पहाड़ी क्षेत्रों अर्थात् गढ़वाली, कुमाऊंनी, डोगरा, मराठा, गोरखा* और आदिवासी से संबंधित अभ्यर्थी।  उपरोक्त मानक सभी श्रेणियों अर्थात् सामान्य, आर्थिक रूप से पिछड़े, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए लागू होंगे।	160 सेमी	153 सेमी	81-86 सेमी (न्यूनतम 5 सेमी फुलाव)	लागू नहीं
			* दार्जिलिंग जिले के तीन उप प्रभागों नामतः दार्जिलिंग, कालिमपोंग और कुर्सीयोंग सहित गोरखा क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) के अभ्यर्थी और इन जिलों के निम्नलिखित “मौजा” उप प्रभाग शामिल हैं:-  (1) लोहागढ़ चाय गार्डन (2) लोहागढ़ जंगल (3) रंगमोहन (4) बाराचेंगा (5) पनीघेटा (6) छोटा				

		अदालपुर (7) पहारू (8) सुकना जंगल (9) सुकना भाग-1 (10) पंतापति जंगल-1 (11) महानदी जंगल (12) चंपासारी जंगल (13) सलबारी छट पार्ट-2 (14) सितोंग जंगल (15) सिवोक हिल जंगल (16) सिवोक जंगल (17) छोटा पेंगा (18) नाईपेनिया।			
	ii)	अनुसूचित जनजाति के सभी अभ्यर्थियों के लिए	160 सेमी	153 सेमी	81-86 सेमी (न्यूनतम 5 सेमी फुलाव)
6.5		<b>भार :</b> चिकित्सा मानकों के अनुसार पुरुष तथा महिलाओं के कद तथा आयु के समानुपात। वजन को भौतिक मापन के समय रिकार्ड किया जाएगा परंतु वजन के आधार पर फिटनेस का निर्णय चिकित्सीय परीक्षण के समय किया जाएगा।			
6.6		<b>चिकित्सा मानक :-</b> चयनित किए गए अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण उनके शारीरिक एवं चिकित्सीय फिटनेस की जांच करने के लिए एक चिकित्सा बोर्ड द्वारा किया जाएगा। अभ्यर्थियों का चिकित्सा परीक्षण गृह मंत्रालय द्वारा जारी यू.ओ. संख्या ए-VI-1/2014 भर्ती (एसएसबी) दिनांक 20.05.2015 और फाईल संख्या ई.-32012-एडीजी(चिकित्सा)/डीएमई एण्ड आरएमई/डीए-1-2020 (पार्ट फाईल)/1166 दिनांक 31.05.2021 और समय-समय पर यथा संशोधित द्वारा जारी एआर और सीएपीएफ में राजपत्रित अधिकारियों और अराजपत्रित अधिकारियों के लिए चिकित्सा परीक्षण की भर्ती के लिए समरूप दिशा-निर्देशों के अनुसरण में आयोजित किया जाएगा।			
6.6.1		अभ्यर्थियों के घुटने मुड़े हुए, समतल पैर, धनुष के आकार के पैर, भेंगापन, बाएं आंख को बंद करने में असमर्थता, अक्सर उंगलियों को मोड़ने में असमर्थता, फूली हुई नसें और कोई भी अन्य स्पष्ट विकृति नहीं होनी चाहिए और अच्छा मानसिक स्वास्थ्य होना चाहिए।			
6.6.2		<b>नेत्र दृष्टि :</b>			
	क)	दृश्य तीक्ष्णता बिना चश्मे के (निकट दृष्टि) – बेहतर दृष्टि – एन 6 खराब दृष्टि – एन 9			
	ख)	बिना सुधार के दृश्य तीक्ष्णता (दूर दृष्टि) – बेहतर दृष्टि – 6/6 खराब दृष्टि – 6/9			
	ग)	अपवर्तन – चश्मे के साथ भी किसी भी प्रकार का दृश्यात्मक शोधन अनुमत नहीं है।			
	घ)	रंगदृष्टि – आईएसआईएचएआरए द्वारा सीपी-III।			
	ङ)	दाहिने हाथ से काम करने वाले व्यक्ति में दाईं आंख की दृष्टि बेहतर होगी और इसके विलोमतः।			
	च)	द्विनेत्री दृष्टि अपेक्षित है।			
6.6.3		<b>टैटू :</b> टैटू की अनुमेयता को स्थापित करने के लिए निम्नलिखित मापदंड निर्धारित किए गए हैं:-			
	क)	<b>सामग्री :</b> एक धर्म निरपेक्ष देश होने के नाते, हमारे देशवासियों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना है और इस प्रकार, धार्मिक चिह्न या आंकड़े और नाम को दर्शाने वाले चिह्न, भारतीय सेना में पालन किए जाने के अनुसार, अनुमत होंगे।			
	ख)	<b>स्थान :</b> शरीर के पारंपरिक स्थानों जैसे कि अग्रभुजाओं के अंदरूनी हिस्सों पर अंकित टैटू, लेकिन केवल बाईं भुजा के अग्रभाग, गैर सलामी अंग या हाथों के डोरसम पर होने की अनुमति है।			
	ग)	<b>आकार :</b> शरीर के विशेष भाग (कोहनी या हाथ) से 1/4 से कम होना चाहिए।			
<b>टिप्पणी-I</b>		वे अभ्यर्थी जिन्होंने 01.08.2023 को आवश्यक शैक्षिक अर्हता प्राप्त नहीं की है वे पात्र नहीं होंगे और इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे।			
<b>टिप्पणी-II</b>		अभ्यर्थियों को यह नोट करना चाहिए कि उनके आयु और नाम का निर्धारण करने के लिए उनके मैट्रिकुलेशन/सेकेंडरी स्कूल परीक्षा प्रमाण-पत्र अथवा किसी समतुल्य प्रमाण-पत्र में जो जन्म तिथि और नाम दर्ज है उसे ही स्वीकार किया जाएगा। जन्मतिथि अथवा नाम में किसी परिवर्तन के अनुरोध पर बाद में विचार नहीं किया जाएगा।			
7.		<b>प्रमाणन की प्रक्रिया और प्रमाण-पत्र का प्रारूप :</b>			
7.1		अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति के आधार पर आयु में छूट का दावा करने वाले पुरुष/महिला अभ्यर्थियों को यह अवश्य सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास जाति/समुदाय का प्रमाण-पत्र है और वे एक महत्वपूर्ण तिथि को क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। इस प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण तिथि आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि अर्थात् <b>28/11/2023</b> होगी। अभ्यर्थियों को उपरोक्त के संबंध में यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी अभ्यर्थिता नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उनके द्वारा संबंधित दस्तावेजों की सत्यता की जांच किए जाने तक अनंतिम रहेगी।			
7.2		वे अभ्यर्थी जो आयु में छूट प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें <b>अनुलग्नक – 'III' और 'IV'</b> जैसा मामला हो, के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग की उनकी स्थिति के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।			

7.3	आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के पुरुष/महिला अभ्यर्थियों के लिए, उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी <b>अनुलग्नक – ‘V’</b> के अनुसार आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की महत्वपूर्ण तिथि आवेदन पत्रों की प्राप्ति अंतिम तिथि अर्थात् <b>28/11/2023</b> होगी। अभ्यर्थियों को यह भी नोट करना चाहिए कि उपरोक्त के संबंध में, उनकी अभ्यर्थिता नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज की सत्यता का सत्यापन किए जाने तक अनंतिम रहेगी।																											
7.4	अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि उनकी अभ्यर्थिता सीधे ही रद्द कर दी जाएगी यदि वे बाद के किसी भी स्तर पर अपनी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की स्थिति का धोखे से दावा करते हैं अथवा अन्य लाभ लेना चाहते हैं।																											
8.	<b>आवेदन कैसे करें :</b>																											
8.1	आवेदन पत्रों को केओसुब की वेबसाइट अर्थात् <a href="http://www.cisfreectt.cisf.gov.in">www.cisfreectt.cisf.gov.in</a> पर ही ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत करें। विस्तृत दिशा-निर्देशों के लिए, कृपया इस अधिसूचना के <b>अनुलग्नक-I और II</b> को देखें। आवेदन प्रस्तुत करने का कोई अन्य माध्यम अनुमत नहीं है।																											
8.2	खेल स्पर्धा के अनुसार प्रत्येक क्षेत्रीय भर्ती केन्द्र के क्षेत्राधिकार का विवरण निम्नानुसार है :-																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क.सं.</th> <th>स्पर्धा का नाम</th> <th>क्षेत्रीय भर्ती केन्द्र का पते के साथ नाम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>एथलेटिक्स</td> <td>उप महानिरीक्षक, केओसुब (मध्य क्षेत्र) मुख्यालय, भिलाई, तीसरी आरक्षित वाहिनी परिसर, पोस्ट – उतई, जिला – दुर्ग, राज्य – छत्तीसगढ़ – 491107 (ई मेल : <a href="mailto:digcz@cisf.gov.in">digcz@cisf.gov.in</a>)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>बॉक्सिंग</td> <td>उप महानिरीक्षक, केओसुब (पूर्वोत्तर क्षेत्र- I) मुख्यालय बेहारबारी, ए. जी. कॉलोनी के नजदीक, हॉकी स्टेडियम रोड, पोस्ट- बसिष्ठा, जिला – कामरूप राज्य – आसाम – 781029 (ई मेल : <a href="mailto:dignez@cisf.gov.in">dignez@cisf.gov.in</a>)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>बास्केट बॉल</td> <td>उप महानिरीक्षक, केओसुब आरआरसी एनसीआर क्षेत्र मुख्यालय केओसुब 5वीं आरक्षित वाहिनी परिसर, गाजियाबाद, पोस्ट – शिप्रा सन सिटी, जिला – गाजियाबाद, राज्य – उत्तर प्रदेश – 201014 (ई मेल : <a href="mailto:digncr@cisf.gov.in">digncr@cisf.gov.in</a>)</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>फुटबॉल</td> <td>उप महानिरीक्षक, केओसुब ( पूर्वोत्तर क्षेत्र- I) मुख्यालय परिसर संख्या 553, पूर्वी कोलकाता टाउनशिप (कस्बा), जिला –कोलकाता, राज्य : पश्चिम बंगाल – 700107 (ई मेल : <a href="mailto:dig-sez@cisf.gov.in">dig-sez@cisf.gov.in</a>)</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>जिम्नास्टिक</td> <td>उप महानिरीक्षक, केओसुब (उत्तरी क्षेत्र-1) मुख्यालय, केओसुब परिसर, महिपालपुर, पोस्ट- महिपालपुर, नई दिल्ली – 110037 (ई मेल : <a href="mailto:dignz@cisf.gov.in">dignz@cisf.gov.in</a>)</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>हैंडबॉल</td> <td>उप महानिरीक्षक, केओसुब (मध्य क्षेत्र) मुख्यालय, भिलाई, तीसरी आरक्षित वाहिनी परिसर, पोस्ट – उतई, जिला – दुर्ग, राज्य – छत्तीसगढ़ – 491107 ( ई मेल : <a href="mailto:digcz@cisf.gov.in">digcz@cisf.gov.in</a>)</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>हॉकी</td> <td>उप महानिरीक्षक, केओसुब ( पूर्वोत्तर क्षेत्र- I) मुख्यालय परिसर संख्या 553, पूर्वी कोलकाता टाउनशिप (कस्बा), जिला –कोलकाता, राज्य : पश्चिम बंगाल – 700107 (ई मेल : <a href="mailto:dig-sez@cisf.gov.in">dig-sez@cisf.gov.in</a>)</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>शूटिंग</td> <td>उप महानिरीक्षक, केओसुब (पश्चिमी क्षेत्र) मुख्यालय, केओसुब परिसर, सेक्टर-35, खारघर, नवी मुंबई,</td> </tr> </tbody> </table>	क.सं.	स्पर्धा का नाम	क्षेत्रीय भर्ती केन्द्र का पते के साथ नाम	1.	एथलेटिक्स	उप महानिरीक्षक, केओसुब (मध्य क्षेत्र) मुख्यालय, भिलाई, तीसरी आरक्षित वाहिनी परिसर, पोस्ट – उतई, जिला – दुर्ग, राज्य – छत्तीसगढ़ – 491107 (ई मेल : <a href="mailto:digcz@cisf.gov.in">digcz@cisf.gov.in</a> )	2.	बॉक्सिंग	उप महानिरीक्षक, केओसुब (पूर्वोत्तर क्षेत्र- I) मुख्यालय बेहारबारी, ए. जी. कॉलोनी के नजदीक, हॉकी स्टेडियम रोड, पोस्ट- बसिष्ठा, जिला – कामरूप राज्य – आसाम – 781029 (ई मेल : <a href="mailto:dignez@cisf.gov.in">dignez@cisf.gov.in</a> )	3.	बास्केट बॉल	उप महानिरीक्षक, केओसुब आरआरसी एनसीआर क्षेत्र मुख्यालय केओसुब 5वीं आरक्षित वाहिनी परिसर, गाजियाबाद, पोस्ट – शिप्रा सन सिटी, जिला – गाजियाबाद, राज्य – उत्तर प्रदेश – 201014 (ई मेल : <a href="mailto:digncr@cisf.gov.in">digncr@cisf.gov.in</a> )	4.	फुटबॉल	उप महानिरीक्षक, केओसुब ( पूर्वोत्तर क्षेत्र- I) मुख्यालय परिसर संख्या 553, पूर्वी कोलकाता टाउनशिप (कस्बा), जिला –कोलकाता, राज्य : पश्चिम बंगाल – 700107 (ई मेल : <a href="mailto:dig-sez@cisf.gov.in">dig-sez@cisf.gov.in</a> )	5.	जिम्नास्टिक	उप महानिरीक्षक, केओसुब (उत्तरी क्षेत्र-1) मुख्यालय, केओसुब परिसर, महिपालपुर, पोस्ट- महिपालपुर, नई दिल्ली – 110037 (ई मेल : <a href="mailto:dignz@cisf.gov.in">dignz@cisf.gov.in</a> )	6.	हैंडबॉल	उप महानिरीक्षक, केओसुब (मध्य क्षेत्र) मुख्यालय, भिलाई, तीसरी आरक्षित वाहिनी परिसर, पोस्ट – उतई, जिला – दुर्ग, राज्य – छत्तीसगढ़ – 491107 ( ई मेल : <a href="mailto:digcz@cisf.gov.in">digcz@cisf.gov.in</a> )	7.	हॉकी	उप महानिरीक्षक, केओसुब ( पूर्वोत्तर क्षेत्र- I) मुख्यालय परिसर संख्या 553, पूर्वी कोलकाता टाउनशिप (कस्बा), जिला –कोलकाता, राज्य : पश्चिम बंगाल – 700107 (ई मेल : <a href="mailto:dig-sez@cisf.gov.in">dig-sez@cisf.gov.in</a> )	8.	शूटिंग	उप महानिरीक्षक, केओसुब (पश्चिमी क्षेत्र) मुख्यालय, केओसुब परिसर, सेक्टर-35, खारघर, नवी मुंबई,
क.सं.	स्पर्धा का नाम	क्षेत्रीय भर्ती केन्द्र का पते के साथ नाम																										
1.	एथलेटिक्स	उप महानिरीक्षक, केओसुब (मध्य क्षेत्र) मुख्यालय, भिलाई, तीसरी आरक्षित वाहिनी परिसर, पोस्ट – उतई, जिला – दुर्ग, राज्य – छत्तीसगढ़ – 491107 (ई मेल : <a href="mailto:digcz@cisf.gov.in">digcz@cisf.gov.in</a> )																										
2.	बॉक्सिंग	उप महानिरीक्षक, केओसुब (पूर्वोत्तर क्षेत्र- I) मुख्यालय बेहारबारी, ए. जी. कॉलोनी के नजदीक, हॉकी स्टेडियम रोड, पोस्ट- बसिष्ठा, जिला – कामरूप राज्य – आसाम – 781029 (ई मेल : <a href="mailto:dignez@cisf.gov.in">dignez@cisf.gov.in</a> )																										
3.	बास्केट बॉल	उप महानिरीक्षक, केओसुब आरआरसी एनसीआर क्षेत्र मुख्यालय केओसुब 5वीं आरक्षित वाहिनी परिसर, गाजियाबाद, पोस्ट – शिप्रा सन सिटी, जिला – गाजियाबाद, राज्य – उत्तर प्रदेश – 201014 (ई मेल : <a href="mailto:digncr@cisf.gov.in">digncr@cisf.gov.in</a> )																										
4.	फुटबॉल	उप महानिरीक्षक, केओसुब ( पूर्वोत्तर क्षेत्र- I) मुख्यालय परिसर संख्या 553, पूर्वी कोलकाता टाउनशिप (कस्बा), जिला –कोलकाता, राज्य : पश्चिम बंगाल – 700107 (ई मेल : <a href="mailto:dig-sez@cisf.gov.in">dig-sez@cisf.gov.in</a> )																										
5.	जिम्नास्टिक	उप महानिरीक्षक, केओसुब (उत्तरी क्षेत्र-1) मुख्यालय, केओसुब परिसर, महिपालपुर, पोस्ट- महिपालपुर, नई दिल्ली – 110037 (ई मेल : <a href="mailto:dignz@cisf.gov.in">dignz@cisf.gov.in</a> )																										
6.	हैंडबॉल	उप महानिरीक्षक, केओसुब (मध्य क्षेत्र) मुख्यालय, भिलाई, तीसरी आरक्षित वाहिनी परिसर, पोस्ट – उतई, जिला – दुर्ग, राज्य – छत्तीसगढ़ – 491107 ( ई मेल : <a href="mailto:digcz@cisf.gov.in">digcz@cisf.gov.in</a> )																										
7.	हॉकी	उप महानिरीक्षक, केओसुब ( पूर्वोत्तर क्षेत्र- I) मुख्यालय परिसर संख्या 553, पूर्वी कोलकाता टाउनशिप (कस्बा), जिला –कोलकाता, राज्य : पश्चिम बंगाल – 700107 (ई मेल : <a href="mailto:dig-sez@cisf.gov.in">dig-sez@cisf.gov.in</a> )																										
8.	शूटिंग	उप महानिरीक्षक, केओसुब (पश्चिमी क्षेत्र) मुख्यालय, केओसुब परिसर, सेक्टर-35, खारघर, नवी मुंबई,																										



				जिला – रायगढ़, राज्य–महाराष्ट्र – 410210 (ई मेल : <a href="mailto:digwz@cisf.gov.in">digwz@cisf.gov.in</a> )
		9.	तैराकी	उप महानिरीक्षक, केओसुब (दक्षिण क्षेत्र) मुख्यालय, 'डी' ब्लॉक, राजाजी भवन, बेसंत नगर, जिला – चेन्नई, राज्य – तमिलनाडु –600090 (ई मेल : <a href="mailto:digsz@cisf.gov.in">digsz@cisf.gov.in</a> )
		10.	बालीबॉल	वरिष्ठ कमाण्डेन्ट, केओसुब दूसरी आरक्षित वाहिनी पोस्ट : धुर्वा, जिला – रांची, राज्य–झारखंड–834004 (ई मेल : <a href="mailto:rb-2nd@cisf.gov.in">rb-2nd@cisf.gov.in</a> )
		11.	भारोत्तोलन	उप महानिरीक्षक, केओसुब आरआरसी एनसीआर क्षेत्र मुख्यालय केओसुब 5वीं आरक्षित वाहिनी परिसर गाजियाबाद, पोस्ट – शिप्रा सन सिटी, जिला – गाजियाबाद, राज्य – उत्तर प्रदेश – 201014 (ई मेल : <a href="mailto:digncr@cisf.gov.in">digncr@cisf.gov.in</a> )
		12.	कुश्ती	उप महानिरीक्षक, केओसुब (उत्तरी क्षेत्र-1) मुख्यालय, केओसुब परिसर, महिपालपुर, पोस्ट– महिपालपुर, नई दिल्ली – 110037 (ई मेल : <a href="mailto:dignz@cisf.gov.in">dignz@cisf.gov.in</a> )
		13.	ताईक्वांडो	उप महानिरीक्षक, केओसुब (दक्षिण क्षेत्र) मुख्यालय, 'डी' ब्लॉक, राजाजी भवन, बेसंत नगर, जिला – चेन्नई, राज्य – तमिलनाडु –600090 (ई मेल : <a href="mailto:digsz@cisf.gov.in">digsz@cisf.gov.in</a> )
		14.	बॉडी बिल्डिंग	उप महानिरीक्षक, केओसुब (पश्चिमी क्षेत्र) मुख्यालय, केओसुब परिसर, सेक्टर-35, खारघर, नवी मुंबई, जिला – रायगढ़, राज्य–महाराष्ट्र – 410210 (ई मेल : <a href="mailto:digwz@cisf.gov.in">digwz@cisf.gov.in</a> )
8.3		ऑनलाइन आवेदन पत्र (अनुलग्नक – II) में, अभ्यर्थियों को निम्नलिखित दस्तावेजों को अपलोड करना अपेक्षित है :-		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ फोटोग्राफ को अपलोड करना – जेपीईजी प्रारूप (20 केबी से 50 केबी) में हाल ही का स्कैन किया गया रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो जिस पर फोटो खींचने की तिथि छपी हो (अर्थात इस परीक्षा की अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए)। जेपीईजी प्रारूप (20 केबी से 50 केबी) में स्कैन किया गया रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो परीक्षा के ऑनलाइन फार्म में अपलोड किया जाना है। फोटो की छवि आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी, चश्मे के होना चाहिए और दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए। फोटो पर छपी तारीख के बिना आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिए जाएंगे। धुंधली तस्वीर वाले आवेदन-पत्र भी अस्वीकार कर दिए जाएंगे।</li> <li>➤ हस्ताक्षर को अपलोड करना – जेपीईजी प्रारूप (10 से 20 केबी) में स्कैन किए हुए हस्ताक्षर। हस्ताक्षर का छवि आयाम लगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई) x 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। अस्पष्ट हस्ताक्षर वाले आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।</li> <li>➤ दस्तावेजों को अपलोड करना – अभ्यर्थियों को अपनी आयु और शैक्षिक अर्हता से संबंधित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां पीडीएफ प्रारूप में (1 एमबी से अधिक न हो) अपलोड करना अपेक्षित होगा।</li> </ul>		
8.4		ऑनलाइन आवेदन-पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तथा समय 28/11/2023 (23:00 बजे) है।		
8.5		अभ्यर्थियों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से काफी पहले ऑनलाइन आवेदन करें और वे अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यधिक लोड के कारण इंटरनेट की संभावित विच्छेदता/लॉग-इन न होना अथवा लॉग-इन में असफलता से बचने के लिए अंतिम तिथि का इंतजार न करें।		

8.6	ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पहले, अभ्यर्थियों को यह अवश्य जांच कर लेनी चाहिए कि उन्होंने प्रपत्र में प्रत्येक कॉलम में सही विवरण भरे हैं। <b>ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने के पश्चात, किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन, परिशुद्धि, संशोधन अनुमत नहीं किया जाएगा।</b> इस संबंध में डाक, फ़ैक्स, ईमेल, हाथों-हाथ आदि के रूप में प्राप्त हुए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।
8.7	अभ्यर्थियों का स्वयं का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना आवश्यक है तथा उस को आवेदन पत्र में भरना है। वह सक्रिय होना चाहिए क्योंकि भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना उन्हें एसएमएस अथवा ईमेल के माध्यम से दी जाएगी।
9.	<b>आवेदन शुल्क :</b>
9.1	देय शुल्क : रूपए 100/- (रूपए एक सौ मात्र)
9.2	महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति (एससी), और अनुसूचित जनजाति (एसटी) की श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों को शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है।
9.3	शुल्क को डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड और यूपीआई का प्रयोग करते हुए नेट बैंकिंग के माध्यम से अथवा एसबीआई की शाखाओं में एसबीआई चालान जेनरेट करते हुए नकद के माध्यम से अदा किया जा सकता है। उपरोक्त यथा दर्शाए गए माध्यमों के अलावा भुगतान किए गए शुल्क को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
9.4	अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन शुल्क का भुगतान <b>28/11/2023 (23:00बजे)</b> तक किया जा सकता है। तथापि, ऐसे अभ्यर्थी जो एसबीआई के चालान के माध्यम से नकद भुगतान करना चाहते हैं, वे इसका भुगतान एसबीआई की शाखाओं में कार्य घंटों के दौरान बैंक में <b>30/11/2023</b> तक नकद रूप में कर सकते हैं, बशर्ते उनके द्वारा चालान <b>28/11/2023 (23:00बजे)</b> से पहले जेनरेट कर दिया गया हो।
9.5	एक बार भुगतान किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही उसे किसी अन्य परीक्षा अथवा चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।
9.6	अभ्यर्थियों से अपेक्षित आवेदन शुल्क प्राप्त न होने की स्थिति में (छूट प्राप्त श्रेणी को छोड़कर) उनके आवेदन को सीधे तौर पर रद्द कर दिया जाएगा।
9.7	बैंक के लिए यथा लागू शुल्क के अलावा प्रशुल्क/कर प्रभार को अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जाएगा।
9.8	आवेदन पत्र की शुरुआती तिथि अर्थात् <b>30/10/2023</b> से पहले भुगतान किया गया शुल्क भी स्वीकार्य नहीं होगा।
10.	<b>परीक्षा में प्रवेश :</b>
10.1	वे सभी अभ्यर्थी जो इस विज्ञापन की प्रतिक्रिया में अंतिम तिथि और समय पर आवेदन करते हैं और जिनके आवेदन पत्र अनंतिम रूप से स्वीकार कर लिए जाते हैं और वे इस अधिसूचना के नियम और शर्तों के अनुसार सही पाए जाते हैं, उन्हें अनुक्रमांक प्रदान किए जाएंगे और उन्हें ट्रायल परीक्षण/दक्षता परीक्षण/पीएसटी और दस्तावेजीकरण में बुलाने के लिए प्रवेश-पत्र जारी किए जाएंगे। तदनुसार, योग्य अभ्यर्थियों को भर्ती (अर्थात् चिकित्सा परीक्षा) के अगले चरणों के लिए प्रवेश-पत्र जारी किए जाएंगे।
10.2	विभाग ट्रायल परीक्षण/दक्षता परीक्षण /पीएसटी और दस्तावेजीकरण के समय पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए आवेदन पत्रों की विस्तृत जांच करेगा। इसलिए अभ्यर्थिता को केवल अनंतिम रूप से स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थियों को शैक्षिक अर्हताओं, आयु, शारीरिक और चिकित्सीय मानकों आदि की अपेक्षाओं के बारे में पता होना चाहिए और उन्हें यह स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पद के लिए पात्र हैं। यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में किए गए किसी दावे की पुष्टि भर्ती की समग्र प्रक्रिया के दौरान नहीं होती है तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
10.3	अभ्यर्थियों को कोई भी पत्र भेजते समय अपना नाम, जन्म तिथि और भर्ती के नाम के साथ अपना पंजीकरण संख्या, पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल संख्या अवश्य लिखना चाहिए। इन विवरणों के बिना अभ्यर्थियों के पत्र व्यवहार पर विचार नहीं किया जाएगा।
10.4	ट्रायल परीक्षण/दक्षता परीक्षण/पीएसटी और दस्तावेजीकरण और चिकित्सा परीक्षा के लिए प्रवेश-पत्र डाउनलोड करने की सुविधा को केओसुब की वेबसाइट <a href="http://www.cisfrectt.cisf.gov.in">www.cisfrectt.cisf.gov.in</a> पर परीक्षा से दस दिन पहले उपलब्ध करवा दिया जाएगा और अभ्यर्थियों को निश्चित किए गए भर्ती केंद्रों पर प्रवेश- पत्र का प्रिंट आउट अवश्य लेकर आना होगा।
10.5	वेबसाइट से प्रवेश-पत्र डाउनलोड न होने पाने के मामले में, अभ्यर्थियों को ट्रायल परीक्षण/दक्षता परीक्षण/पीएसटी और दस्तावेजीकरण और चिकित्सा परीक्षण से कम से कम एक सप्ताह पहले केओसुब हेल्पलाइन 011-24366431/24307933 से संपर्क करना चाहिए।
10.6	प्रवेश पत्र के अलावा, चार नवीनतम पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो जिस पर फोटो लेने की तिथि विधिवत रूप से उल्लिखित <b>(अर्थात् इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं)</b> हो और एक मूल वैध फोटो आईडी प्रमाण जिस पर जन्म तिथि भली-भांति प्रिन्ट की हुई हो जैसे आधार कार्ड/ई-आधार का प्रिंट आउट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्कूल द्वारा जारी पहचान पत्र, नियोक्ता आईडी कार्ड, (सरकारी/पीएसयू) या केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई भी फोटो वाला अन्य पहचान पत्र लाना अनिवार्य है।

10.7	यदि फोटो पहचान पत्र में जन्म तिथि लिखी हुई नहीं है, तो अभ्यर्थी को अपनी जन्म तिथि के प्रमाण में एक अतिरिक्त मूल प्रमाण पत्र (उदाहरणतया मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, केवल सीबीएसई/आईसीएसई/राज्य बोर्डों द्वारा जारी अंक तालिकाएं, जन्म प्रमाण पत्र) लाना होगा। प्रवेश पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और जन्म तिथि के समर्थन में लाए गए फोटो आईडी/प्रमाण पत्र में मेल नहीं होने की स्थिति में, अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
10.8	प्रवेश पत्र में उल्लिखित अन्य किसी दस्तावेज को भी अभ्यर्थियों द्वारा बाद के चरणों में शामिल होते समय प्रस्तुत करना होगा।
10.9	धुंधले फोटोग्राफ/फोटोग्राफ पर बिना तिथि/हस्ताक्षर वाले आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा।
11.	<b>भर्ती प्रक्रिया:</b>
	भर्ती के विभिन्न चरण निम्नलिखित क्रम के अनुसार आयोजित किए जाएंगे :-
	<p><b>1. प्रथम चरण</b></p> <p>क) ट्रायल परीक्षण। ख) दक्षता परीक्षण। ग) शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) घ) दस्तावेजीकरण।</p> <p><b>2. दूसरा चरण</b></p> <p>चिकित्सा परीक्षण</p> <p>सभी अभ्यर्थी जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तिथि और समय तक खुद को पंजीकृत करते हैं और जिनके आवेदन अनंतिम रूप से स्वीकार किए जाते हैं और क्रम में पाए जाते हैं, उन्हें भर्ती के प्रथम चरण के लिए बुलाया जाएगा। ट्रायल परीक्षण/दक्षता परीक्षण, शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी)/दस्तावेजीकरण को विभिन्न केंद्रों पर आयोजित किए जाएंगे। इसलिए परीक्षा के लिए उपस्थित होने से पहले अभ्यर्थियों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे इस सूचना में निर्धारित अपनी पात्रता को सत्यापित करें।</p>
11.1	<b>ट्रायल परीक्षण :-</b>
11.1.1	भर्ती केंद्र पर अभ्यर्थियों की रिपोर्टिंग करने पर तुरंत भर्ती बोर्ड प्रवेश-पत्र में उपलब्ध फोटो और हस्ताक्षर के साथ-साथ आधार कार्ड, मतदाता कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्कूल आदि द्वारा जारी आईडी कार्ड जैसे फोटो युक्त पहचान प्रमाण से से अभ्यर्थियों की पहचान सत्यापित की जाएगी।
11.1.2	यदि प्रवेश-पत्र/ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में उपलब्ध फोटो और हस्ताक्षर मेल नहीं खाते हैं तो अभ्यर्थी से इसका कारण जाना जा सकता है।
11.1.3	भर्ती के दौरान प्रतिरूपण से बचने के लिए, अभ्यर्थियों को बाँयो-मैट्रिक (एलटीआई) पंजीकरण लिया जाना है। अभ्यर्थी की पहचान सत्यापित करने के लिए भर्ती के बाद के चरणों अर्थात् चिकित्सा परीक्षा और आरटीसी में शामिल होने के समय बाँयो-मैट्रिक पंजीकरण का उपयोग किया जाएगा।
11.1.4	सभी सफल पुरुष/महिला अभ्यर्थियों को अपने संबंधित खेल कूद आयोजन में 20 अंकों का ट्रायल परीक्षण देना होगा। ट्रायल परीक्षण अर्हक होगा।
11.1.5	यद्यपि ट्रायल परीक्षण अर्हक है और अभ्यर्थी द्वारा दक्षता परीक्षण में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर मैरिट तैयार की जाएगी, तथापि, सभी स्पर्धाओं के लिए ट्रायल परीक्षण में न्यूनतम कट-ऑफ अंक 10 अंक होंगे।
11.1.6	अभ्यर्थी जो ट्रायल परीक्षण में न्यूनतम कट-ऑफ अंक प्राप्त नहीं कर पाते हैं उन्हें भर्ती प्रक्रिया से भर्ती बोर्ड द्वारा कारण बताते हुए एक रद्दीकरण पर्ची देकर बाहर कर दिया जाएगा।
11.1.7	दक्षता परीक्षण को पुनः आयोजित करवाने की अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।
11.2	<b>दक्षता परीक्षण:</b>
	ट्रायल परीक्षण में अर्हक घोषित सभी अभ्यर्थियों को खेलकूद स्पर्धा जिससे वे संबंधित हैं, में 40 अंकों के दक्षता परीक्षण से गुजरना होगा। सभी स्पर्धाओं/खेलकूद के लिए दक्षता परीक्षण में न्यूनतम कटऑफ अंक 20 अंक होंगे जिसे अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किया जाना होगा।
11.2.1	अभ्यर्थी जो दक्षता परीक्षण में न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त नहीं कर पाते हैं उन्हें भर्ती बोर्ड द्वारा कारण बताते हुए एक रद्दीकरण पर्ची दी जाएगी।
11.2.2	दक्षता परीक्षा के पुनः आयोजित करवाने की अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।
11.3	<b>शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी)</b>
11.3.1	ट्रायल एवं दक्षता परीक्षण में योग्य अभ्यर्थियों को शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) से गुजरना होगा।

11.3.2	अभ्यर्थियों के कद, सीने और वजन का माप अधिकारियों के बोर्ड द्वारा किया जाएगा। वे अभ्यर्थी जो शारीरिक मानकों को पूरा करेंगे उन्हें भर्ती की अगली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अनुमत किया जाएगा। वे अभ्यर्थी जो निर्धारित शारीरिक मानकों को पूरा नहीं कर पाएंगे उन्हें भर्ती प्रक्रिया से एक रद्दीकरण पर्ची देते हुए बाहर कर दिया जाएगा। तथापि, वजन के आधार पर चिकित्सा परीक्षण के समय ही बाहर किया जाएगा। शारीरिक मानकों को उपरोक्त पैरा 6.4 में विस्तार से दिया गया है।
11.3.3	अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के अलावा, कद और सीने (जैसा मामला हो) में छूट उपरोक्त पैरा 6.4.1 में यथाउल्लिखित अभ्यर्थी के जिले जहां पर वह रह रहा है, के सक्षम प्राधिकारी द्वारा <b>अनुलग्नक-‘VI’</b> में यथानिर्धारित प्रपत्र में मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर अनुमत की जाएगी। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी वैध मूल अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर छूट का लाभ ले सकते हैं।
11.3.4	वे अभ्यर्थी जिन्हें शारीरिक मानकों अर्थात् कद और सीने में अयोग्य घोषित कर दिया जाता है वे उसी दिन, यदि वे चाहें तो शारीरिक मापन में अपने चयन न किए जाने के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी को एक अपील कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों का मापन उसी दिन अथवा अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पुनः मापन के लिए एक नई तिथि पर किया जाएगा। इस संबंध में, अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में आगे कोई अपील अथवा अभ्यावेदन पर तत्पश्चात विचार नहीं किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी निर्धारित मानक के तहत पाया जाता है, तो उसे चयन प्रक्रिया के अगले चयन में भाग लेने के लिए अनुमत किया जाएगा
11.3.5	<b>निर्धारित शारीरिक मानकों को पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को उनकी अस्वीकृति पर्ची देकर भर्ती प्रक्रिया से हटा दिया जाएगा। तथापि, वजन के आधार पर हटाने की प्रक्रिया चिकित्सा परीक्षण के समय की जाएगी।</b> शारीरिक मानकों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही दस्तावेजीकरण में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।
11.4	<b>दस्तावेजीकरण :</b>
	अभ्यर्थियों को ट्रायल परीक्षण/दक्षता परीक्षण/दस्तावेजीकरण और शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) में उत्तीर्ण होने वाले को दस्तावेजीकरण से गुजरना होगा। अभ्यर्थियों के निम्नलिखित मूल दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों की जांच की जाएगी। वे अभ्यर्थी जो अपेक्षित मूल दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, उन्हें पीठासीन अधिकारी द्वारा कारण बताते हुए निरस्त करने संबंधी स्लिप देते हुए भर्ती संबंधी प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा और <b>किसी भी अभ्यर्थी को अनंतिम रूप से अनुमत नहीं किया जाएगा।</b>
(i)	शैक्षिक प्रमाण पत्र (12वीं पास अथवा इसके समकक्ष)
(ii)	जन्म प्रमाण पत्र (मैट्रिक अथवा दसवीं पास होने का प्रमाण पत्र)
(iii)	अजा/अजजा और अपिव और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, यदि लागू हो। यह क्रमशः <b>अनुलग्नक –III, IV एवं V</b> में यथानिर्धारित प्रपत्र में होने चाहिए। जाति प्रमाण पत्र जो विज्ञापन सूचना में दर्शाए गए अनुसार नहीं हैं, उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।
(iv)	गढ़वाली, कुमाउंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा और आदिवासी श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी जिन्होंने कद और छाती में छूट देने के लिए अनुरोध किया है उन्हें <b>अनुलग्नक –VI</b> में दिए गए परिपत्र/प्रारूप में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।
(v)	पैरा – 6.3 में उल्लिखित खेल उपलब्धियों के प्रमाण-पत्र।
(vi)	<b>परिशिष्ट- ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ एवं ‘घ’</b> के अनुसार जैसा भी मामला हो, मान्यता प्राप्त परिसंघ/संघ द्वारा जारी प्रमाण-पत्र (प्रपत्र)।
(vii)	<b>अनुलग्नक –VII</b> में दिए गए प्रारूप के अनुसार, सरकारी/अर्द्ध-सरकारी विभागों में सेवारत व्यक्तियों के मामले में उनके कार्यालय प्रमुख से अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
(viii)	अभ्यर्थी की चार नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटो जिस पर फोटो लेने की तिथि विधिवत रूप से अंकित हो (अर्थात् इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन माह से अधिक पुरानी नहीं हो)।
(ix)	अभ्यर्थियों को अपने साथ <b>मूल रूप में</b> ड्राईविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र, आयकर पैन कार्ड जैसे फोटो युक्त पहचान पत्र के प्रमाण लाने चाहिए जो उसने आवेदन पत्र में यथा उल्लिखित/प्रयोग किए हैं।
(x)	अभ्यर्थी की पहचान उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए पहचान पत्रों से अधिकारियों के बोर्ड द्वारा ट्रायल परीक्षण/दक्षता परीक्षण/पीएसटी व दस्तावेजीकरण और चिकित्सा परीक्षा के समय की जाएगी। सभी अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक क्रेडेंशियल (एलटीआर/आरटीआई/फिंगर्स इंप्रेशन) को परीक्षा से पहले पंजीकृत किया जाएगा जिसका उपयोग भर्ती के सभी आगामी चरणों में किया जाएगा।

11.4.1	केओसुब अपने विवेक से भर्ती के दौरान या बाद के चरण में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रमाण-पत्र की वास्तविकता की जांच या सत्यापन कर सकता है और ऐसे सत्यापन/जांच के बाद केओसुब का निर्णय अंतिम होगा।								
11.4.2	दस्तावेजीकरण में अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी।								
12.	<b>अंतिम चयन सूची तैयार करना :</b>								
12.1.1	दस्तावेजीकरण पूरा होने के बाद, दक्षता परीक्षण के दौरान अभ्यर्थियों के प्रदर्शन और संबंधित खेल स्पर्धा में मेधावी प्रमाण-पत्र/उपलब्धि वाले अभ्यर्थी को दिए गए अंकों को ध्यान में रखते हुए अंकों (10 अंकों में से) के अनुसार मेरिट सूची तैयार की जाएगी।								
12.1.2	अभ्यर्थी को <b>01/01/2021 से 28/11/2023</b> की अवधि के दौरान उनके द्वारा प्राप्त किए किसी एक उच्चतम मेडल के लिए अंक प्रदान किए जाएंगे। यदि किसी अभ्यर्थी ने एक विशेष खेल में एक से अधिक मेडल प्राप्त किए हैं, उस मामले में उसे प्रतिस्पर्धा/टूर्नामेंट/खेल में प्राप्त केवल उच्चतम मेडल/स्थान के लिए अंक प्रदान किए जाएंगे।								
12.1.3	अलग-अलग अभ्यर्थियों के साथ-साथ टीम स्पर्धाओं को नीचे दिए गए क्रम के अनुसार प्राथमिकता प्रदान की जाएगी:-								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क. अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैम्पियनशिप</th> <th>ख. राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैम्पियनशिप</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1) प्रथम स्वर्ण पदक विजेता</td> <td>1) प्रथम स्वर्ण पदक विजेता</td> </tr> <tr> <td>2) द्वितीय रजत पदक विजेता</td> <td>2) द्वितीय रजत पदक विजेता</td> </tr> <tr> <td>3) तृतीय कांस्य पदक विजेता</td> <td>3) तृतीय कांस्य पदक विजेता</td> </tr> </tbody> </table>	क. अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैम्पियनशिप	ख. राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैम्पियनशिप	1) प्रथम स्वर्ण पदक विजेता	1) प्रथम स्वर्ण पदक विजेता	2) द्वितीय रजत पदक विजेता	2) द्वितीय रजत पदक विजेता	3) तृतीय कांस्य पदक विजेता	3) तृतीय कांस्य पदक विजेता
क. अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैम्पियनशिप	ख. राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैम्पियनशिप								
1) प्रथम स्वर्ण पदक विजेता	1) प्रथम स्वर्ण पदक विजेता								
2) द्वितीय रजत पदक विजेता	2) द्वितीय रजत पदक विजेता								
3) तृतीय कांस्य पदक विजेता	3) तृतीय कांस्य पदक विजेता								
12.1.4	यदि टाई रहती है तो कम उम्र के खिलाड़ियों को वरीयता दी जाएगी। यदि फिर भी टाई रहती है, अभ्यर्थी के अंग्रेजी में नाम को वर्णमाला के अनुसार वरीयता दी जाएगी।								
12.1.5	भर्ती के किसी भी चरण में सफलता नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं देती है जब तक कि विभाग ऐसे सत्यापन के बाद संतुष्ट न हो जाए जिसे आवश्यक माना जा सकता है कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए हर तरह से उपयुक्त है।								
12.1.6	परिणाम को केओसुब भर्ती वेबसाइट <a href="https://cisfrectt.cisf.gov.in">https://cisfrectt.cisf.gov.in</a> पर भर्ती के पूर्ण होने की तिथि के बाद उपयुक्त समय के पश्चात प्रस्तुत किया जाएगा।								
12.1.7	कोई भी प्रतिक्षा सूची नहीं बनाई जाएगी।								
<b>टिप्पणी- I</b>	परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पद के लिए सभी पात्रता शर्तें पूरी करते हैं। उनका भर्ती के प्रत्येक स्तर पर प्रवेश पूर्णतः अनंतिम और निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अध्यक्षीन होगा। यदि जांच किए जाने पर ट्रायल परीक्षण/दक्षता परीक्षण/पीएसटी/दस्तावेजीकरण और चिकित्सा जांच से पहले या बाद में किसी भी समय जांच में यह पाया जाता है कि वे किसी एक भी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो उनकी परीक्षा के लिए अभ्यर्थिता विभाग द्वारा निरस्त कर दी जाएगी।								
<b>टिप्पणी- II</b>	यदि, कोई पुरुष/महिला अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय किसी भी आधार पर अयोग्य पाया/पाई जाता/जाती है या तथ्यों को छुपाता/छुपाती है, उसकी अभ्यर्थिता/चयन/नियुक्ति तदनुसार निरस्त की जा सकती है।								
13.	<b>चिकित्सा परीक्षण :</b>								
13.1	प्रत्येक स्पर्धा/आयोजन में रिक्तियों की संख्या के बराबर अभ्यर्थियों को विस्तृत चिकित्सा परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक और चिकित्सीय फिटनेस का आकलन करने के लिए मेडिकल बोर्ड द्वारा उनकी चिकित्सीय जांच की जाएगी। अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा, दिनांक 20.05.2015 के गृह मंत्रालय के यूओ संख्या ए. VI-1/2014-भर्ती(एसएसबी) और दिनांक 31.05.2021 के गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या ई. 32012/एडीजी(मेडि)/डीएमई एण्ड आरएमई/डीए-1/2020 (पार्ट फाईल)/1/1166 तथा सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित सीएपीएफ और असम राइफल्स में राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों हेतु भर्ती के लिए एक समान दिशा-निर्देशों के अनुसार, आयोजित की जाएगी। तथापि, बुलावा पत्र भेजने और विस्तृत चिकित्सा परीक्षण में फिट घोषित किए जाने का तात्पर्य यह नहीं है कि अभ्यर्थी का चयन अंतिम रूप से हो गया है। इसलिए ऐसे आधार पर चयन के उनके दावे को अंतिम चयन नहीं किया जाएगा क्योंकि अंतिम चयन वरीयता के साथ-साथ रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर होगी।								
13.2	विभाग को प्रत्येक खेल/प्रतियोगिता के लिए आबंटित रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न खेलों/स्पर्धाओं से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न अर्हक अंकों को निर्धारित करने का विशेषाधिकार रहेगा।								

13.3	अभ्यर्थियों को <b>फिट अथवा अनफिट</b> घोषित किया जाएगा। किसी अभ्यर्थी को अस्थायी रूप से अनफिट घोषित नहीं किया जाएगा।
13.4	सभी मामलों में, एक अभ्यर्थी जिसे चिकित्सा परीक्षा में नियुक्ति के लिए चिकित्सकीय रूप से अनफिट घोषित किया गया है, को जांच चिकित्सा अधिकारी द्वारा लिखित रूप में अस्वीकृति के आधार के बारे में सूचित किया जाएगा। विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) के दौरान अयोग्य घोषित किए गए सभी अभ्यर्थियों को समीक्षा चिकित्सा परीक्षा (आरएमई) से गुजरने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते वे अनफिट होने के कारणों का संकेत देते हुए अपने हस्ताक्षर करके अपनी लिखित सहमति दें। अभ्यर्थियों का आरएमई डीएमई के अगले दिन अधिमानतः डीएमई की निरंतरता में आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित आरएमई के लिए सहमति अभ्यर्थी द्वारा डीएमई में अपनी अयोग्यता के बारे में सूचित किए जाने के 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए। समीक्षा चिकित्सा परीक्षा में समीक्षा चिकित्सा बोर्ड के निष्कर्षों के विरुद्ध किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।
	<b>टिप्पणी:</b> कार्यभार ग्रहण करते समय सभी चयनित अभ्यर्थियों से एक वचनबद्धता ली जाएगी कि सेवा काल के दौरान किसी भी चरण में, यदि उनमें वर्णाधता पाई जाती है, तो उन्हें प्रचलित एसएचएपीई (शेप) नीति के आधार पर बाहर कर दिया जाएगा और इसे उनकी सेवा रिकार्ड में लागाया जाएगा।
14.	<b>निर्णय:</b> पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति, चयन के तरीकों, परीक्षाओं के आयोजन, मेरिट सूची तैयार करने से संबंधित सभी मामलों में बोर्ड/विभाग का निर्णय अभ्यर्थियों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा और इस संबंध में किसी पूछताछ/पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
15.	<b>न्यायालय क्षेत्राधिकार:</b> इस भर्ती के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति न्यायालयों/अधिकरणों के अधीन होगी जिस शहर/कस्बा में संबंधित केओसुब भर्ती केन्द्र स्थापित है और जहां पर अभ्यर्थी ने आवेदन किया है।
16.	<b>अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश:</b>
16.1	आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थी को परीक्षा की सूचना में दिए गए दिशा-निर्देशों अर्थात् शैक्षिक योग्यताओं की अपेक्षाओं, आयु, शारीरिक मानक, खेल-कूद की पात्रता आदि की आवश्यकताओं की बहुत सावधानी से जांच कर लेनी चाहिए और खुद को संतुष्ट कर लें कि वे पद के लिए पात्र हैं।
16.2	पैरा-6.3 में उल्लिखित किसी स्पर्धा/टूर्नामेंट/खेलकूद में प्रतिनिधित्व करने के लिए पुरुष/महिला अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पर विचार उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आलोक में किया जाएगा।
16.3	मूल दस्तावेजों के साथ दस्तावेजों का सत्यापन दस्तावेजीकरण के समय किया जाएगा। इसलिए, अभ्यर्थिता केवल अंतिम रूप से स्वीकार किया जाएगा।
16.4	वे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अथवा अन्य किसी छूट का परीक्षा की अधिसूचना के प्रावधानों के आधार पर आरक्षण का लाभ चाहते हैं उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे उक्त आरक्षण/छूट के हकदार हैं। जब उनसे प्रमाण पत्र की प्रतियां अपेक्षित हों तो उनके अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में मूल रूप में संबंधित प्रमाण-पत्र होने चाहिए।
16.5	दिव्यांगजन/शारीरिक रूप से अक्षम अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के योग्य नहीं होंगे।
16.6	अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन में अपना सही और सक्रिय ई-मेल पता और मोबाइल नंबर भरें क्योंकि पत्राचार ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से किया जा सकता है।
16.7	देय शुल्क : रु. 100/- (रु. एक सौ केवल)। महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणियों के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।
16.8	अभ्यर्थियों को अपना नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम और माता का नाम बिल्कुल वैसा ही दर्ज करना होगा जैसा मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में दिया गया है।
16.9	ऑनलाइन आवेदन पत्र में, अभ्यर्थियों द्वारा ऐसी फोटो जिस पर तिथि उल्लिखित हो ( <b>अर्थात् इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन माह से अधिक पुरानी न हो</b> ), हस्ताक्षर और आयु एवं शैक्षिक योग्यता से संबंधित सभी दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करनी होंगी। <b>फोटोग्राफ पर मुद्रित तिथि के बिना आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिए जाएंगे।</b>
16.10	अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना आवेदन केवल एक ही स्पर्धा के लिए जमा करें। यदि अभ्यर्थी एक या अधिक स्पर्धा के लिए आवेदन जमा करता है, तो पहले आवेदन की गई स्पर्धा पर ही आगे कार्रवाई की जाएगी।
16.11	<b>धुंधले/अस्पष्ट फोटोग्राफ, हस्ताक्षर अथवा बिना तारीख के फोटोग्राफ वाले आवेदन पत्रों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।</b>
16.12	अपूर्ण सूचना/गलत सूचना/अधूरे अपेक्षित प्रमाण पत्र/तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने/अहस्ताक्षरित छोड़ देने/देय शुल्क के बिना जमा करने के कारण आवेदन को भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
16.13	एक बार प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र के किसी भी विवरण में परिवर्तन/सुधार के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। पोस्ट/फैक्स/ईमेल/हाथ आदि के माध्यम से प्राप्त ऐसे अनुरोधों

		पर विचार नहीं किया जाएगा।
16.14		जब आवेदन सफलतापूर्वक प्रस्तुत कर दिया जाता है तो इसे 'अंतिम रूप से' स्वीकार कर लिया जाएगा। अभ्यर्थी को अपने रिकॉर्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट ले लें। 'आवेदन पत्र' का प्रिंटआउट जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
16.15		किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम/फोटो का दुरुपयोग करके फर्जी/मनगढ़त आवेदन/पंजीकरण के मामले में, ऐसे अभ्यर्थी/साइबर कैफे को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और वह साइबर/आईटी अधिनियम के तहत उपयुक्त कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।
16.16		अभ्यर्थी ध्यान दें कि वे एक वर्दीधारी बल के लिए आवेदन कर रहे हैं और उन्हें उचित शारीरिक/मानसिक तैयारी के साथ भर्ती प्रक्रिया में भाग लेना होगा और वे भर्ती के किसी भी चरण के दौरान होने वाली किसी भी घटना/दुर्घटना के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। ऐसी किसी भी अप्रत्याशित घटना/दुर्घटना के लिए भर्ती एजेंसी/केंद्र जिम्मेदार नहीं होगा। अभ्यर्थी अपने जोखिम पर भर्ती में भाग लेंगे।
16.17		<b>भर्ती के दौरान, "डोप नियंत्रण लागू किया जाएगा"</b> । यदि कोई अभ्यर्थी स्पर्धा के दौरान किसी ऊर्जावान दवाई/औषधि आदि का प्रयोग करते हुए पाया जाता है तो उसे भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा/उसकी अभ्यर्थिता तत्काल रद्द कर दी जाएगी।
16.18		अभ्यर्थी आवेदन भरने और ट्राइल/दक्षता/पीएसटी एवं दस्तावेजीकरण और चिकित्सा परीक्षा आदि के संबंध में किसी पूछताछ के लिए हेल्प लाइन नंबर 011-24366431/24307933 पर संपर्क कर सकते हैं।
16.19		भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के लिए अभ्यर्थियों को अपनी व्यवस्था के तहत 4-6 दिनों तक ठहरने के लिए विधिवत तैयार होकर आना चाहिए। यात्रा और ठहरने के लिए कोई टीए/डीए स्वीकार्य नहीं होगा।
16.20		यदि कोई पुरुष/महिला अभ्यर्थी अपने चयन/नियुक्ति के बाद किसी भी आधार पर सेवा के लिए अयोग्य/अपात्र पाया जाता है, तो उसकी सेवा बिना कोई कारण बताए समाप्त कर दी जाएगी।
16.21		यदि कोई भी अभ्यर्थी पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी चरण में या उसके बाद कदाचार के किसी भी कार्य में संलिप्त पाया जाता है तो उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और वे उपयुक्त कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।
16.22		हिंदी अथवा अंग्रेजी के अलावा कोई भी प्रमाण-पत्र, हिंदी अथवा अंग्रेजी में अनुवाद कर सत्यापित करके लगा होना चाहिए, अन्यथा उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
16.23		किसी भी प्रकार का अनुयाचन अथवा किसी भी प्रकार का बाहरी प्रभाव डालने पर अभ्यर्थियों को स्वतः ही बिना किसी सूचना के परीक्षा में बैठने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
16.24		उचित योग्यता, क्षमता, फिटनेस और संबंधित स्पर्धा/आयोजन और पात्रता का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
16.25		अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि भर्ती के लिए आने से पहले ट्राइल/दक्षता परीक्षणों के लिए पर्याप्त अभ्यास करें। भर्ती प्रक्रिया/परीक्षा के दौरान किसी भी चोट/दुर्घटना या चिकित्सा समस्या के लिए केओसुब या भारत सरकार जिम्मेदार नहीं होगी।
16.26		कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अनुचित साधन का उपयोग करते हुए या किसी डमी का सहारा लेते हुए पाया गया तो उसे तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कानून कार्रवाई के जाएगी। अभ्यर्थी की नकल करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा और उसके खिलाफ आईपीसी के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की भविष्य में होने वाली भर्तियों में आवेदन करने से रोक दिया जाएगा।
16.27		दलाल के रूप में काम करने वाले या दलाल की मदद लेने वाले किसी भी व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ आईपीसी के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।
16.28		अभ्यर्थियों को भर्ती के सभी चरणों में उपस्थित होना होगा जिसके लिए वे अर्हता प्राप्त कर चुके हैं। यदि कोई अभ्यर्थी किसी भी चरण/कार्यक्रम से अनुपस्थित रहता है जिसके लिए उसने अर्हता प्राप्त की है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
16.29		यदि कोई अभ्यर्थी अपने चयन/नियुक्ति के बाद किसी भी आधार पर सेवा के लिए अयोग्य/अपात्र पाया जाता है, तो उसकी सेवा बिना कोई कारण बताए समाप्त कर दी जाएगी।
16.30		<b>केओसुब के महानिदेशक बिना कोई कारण बताए भर्ती में बदलाव करने या रद्द करने या स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।</b>
16.31		विभाग को विज्ञापन में कोई भी परिवर्तन करने या बिना कोई कारण बताए उसे रद्द करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, यहां उल्लिखित सभी शर्तें भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार भिन्न हो सकती हैं।
16.32		भर्ती प्रक्रिया के अंत में, चिकित्सा परीक्षण से गुजरना नियुक्ति की गारंटी नहीं देता है क्योंकि नियुक्ति का प्रस्ताव केवल आवंटित रिक्तियों के अनुसार किया जाएगा।
16.33		चयनित अभ्यर्थियों को केओसुब के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र में मूलभूत प्रशिक्षण हेतु उपस्थित होना होगा।

		जिसके लिए उन्हें अलग से नियुक्ति पत्र के प्रस्ताव के माध्यम से सूचित किया जाएगा। यदि कोई पुरुष/महिला अभ्यर्थी निर्धारित प्रशिक्षण में उत्तीर्ण नहीं होता है तो उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। वे 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर होंगे जिसे बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि के दौरान, यदि वे किसी कारण से अनफिट पाए जाते हैं, तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।
16.34		केओसुब पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ योग्य, प्रतिबद्ध, ईमानदार और सर्वोत्तम अभ्यर्थियों को की भर्ती करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे “दलालों से सावधान रहें”।
16.35		नियुक्ति का प्रस्ताव भर्ती प्रक्रिया का अंतिम चरण है। इस प्रकार, भर्ती प्रक्रिया के किसी भी पिछले चरण (चिकित्सा परीक्षा सहित) में अर्हता प्राप्त करने से किसी भी अभ्यर्थी को पद पर चयन या नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं मिल जाता है।

#### अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

दलालों से सावधान रहें। केओसुब में भर्ती के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता है। यदि आपने भुगतान किया है या किसी को पैसे देने का वादा किया है तो आपको धोखा दिया जा रहा है और आप पैसे खो रहे हैं। यदि कोई आपके चयन के लिए पैसे की मांग करता है, तो तुरंत भर्ती बोर्ड के पीठासीन अधिकारी (पीओ) और संबंधित भर्ती केन्द्र के उप महानिरीक्षक को सूचित करें या ई-मेल के माध्यम से उस व्यक्ति का नाम **ac-rectt@cisf.gov.in** पर सूचित करें।



(ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया)

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के दो भाग हैं:

I.	वन टाईम रजिस्ट्रेशन
II.	परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना
<b>भाग -1 (वन टाइम रजिस्ट्रेशन)</b>	
<p>अभ्यर्थी के लिए वन टाईम रजिस्ट्रेशन एक स्थायी डेटाबेस होगा। सीआईएसएफ द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों द्वारा विशिष्ट पंजीकरण आईडी और पासवर्ड का ही उपयोग किया जाएगा। ऑनलाइन 'पंजीकरण फॉर्म' और 'आवेदन पत्र' भरने से पहले परीक्षा की सूचना में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।</p>	
<b>पहली बार रजिस्ट्रेशन कैसे करें :-</b>	
1.	सीआईएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट <a href="https://cisfrectt.cisf.gov.in">https://cisfrectt.cisf.gov.in</a> पर लॉग ऑन करें।
2.	होम पेज प्रदर्शित हो जाएगा। "लॉगिन" बटन पर क्लिक करें।
3.	नया पेज प्रदर्शित होगा। "नया पंजीकरण" बटन पर क्लिक करें।
4.	वन टाईम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में निम्नलिखित जानकारी भरना अपेक्षित है:
	क. मूल विवरण ख. अतिरिक्त और संपर्क विवरण ग. घोषणा।
5.	'वन टाईम रजिस्ट्रेशन फॉर्म' भरने के लिए, कृपया निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
क.	व्यक्तिगत विवरण (जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग) को पंजीकरण फॉर्म के संबंधित कॉलम में दो बार दर्ज करने की आवश्यकता होती है ताकि फॉर्म भरने में अनजाने में हुई गलतियों से बचा जा सके। यदि मूल और सत्यापित डाटा कॉलम के आंकड़ों में मेल नहीं है, तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा और इस आशय का एक अलग संकेत बॉक्स दिया जाएगा।
ख.	<b>आवेदक का नाम :</b> जैसा कि मैट्रिकुलेशन अथवा 10 वीं कक्षा के प्रमाण पत्र में है। यदि, मैट्रिकुलेशन के बाद आपने अपने नाम में कोई परिवर्तन किया है तो उसका उल्लेख करें।
ग.	पिता का नाम – जैसा कि मैट्रिकुलेशन अथवा 10 वीं कक्षा के प्रमाण पत्र में है।
घ.	माता का नाम – जैसा कि मैट्रिकुलेशन अथवा 10 वीं कक्षा के प्रमाण पत्र में है।
ङ.	जन्मतिथि – जैसा कि मैट्रिकुलेशन अथवा 10 वीं कक्षा के प्रमाण पत्र में है।
च.	लिंग – उपयुक्त का चयन करें।
छ.	सबमिट बटन पर क्लिक करें। नया पृष्ठ प्रदर्शित हो जाएगा।
ज.	अपना व्यक्तिगत विवरण जांचें और मूल विवरण भरें।
झ.	अपना वैध मोबाइल नंबर और ईमेल-आईडी भरें। यह भी नोट कर लें कि कोई भी सूचना जिसे विभाग ईमेल/एसएमएस के माध्यम से आपको संप्रेषित करेगा, वह केवल आपके द्वारा प्रदान की गई ईमेल-आईडी पर ही भेजी जाएगी। यदि आवश्यक हुआ तो पासवर्ड/पंजीकरण संख्या की पुनः प्राप्ति के लिए भी उसी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा।
ञ.	'घोषणापत्र' को ध्यान से पढ़ें, अगर आप घोषणापत्र से सहमत हैं तो 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।
ट.	पुष्टि होने पर, आपका डाटा सहेज लिया जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा।
ठ.	अपनी पंजीकरण संख्या को "यूजरनेम" के रूप में और आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर प्रदान किए गए "ऑटो-जेनरेटेड पासवर्ड" का उपयोग करके लॉगिन करें।
	<b>टिप्पणी :-</b>
	आपको पुनः सावधान किया जाता है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिकुलेशन परीक्षा का विवरण ठीक वैसा ही भरा जाना चाहिए जैसा कि मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में दर्ज किया गया है। त्रुटिपूर्ण/गलत जानकारी के मामले में आपकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

भाग-II (ऑनलाइन आवेदन पत्र)

1.	ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले, निम्नलिखित डाटा तैयार रखें :	
	क)	जेपीईजी प्रारूप (20 केबी से 50 केबी) में हाल ही में स्कैन किया गया रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो (अर्थात् इस परीक्षा की अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन माह से अधिक पुराना नहीं हो)। फोटो का छवि आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी, चश्मे के होना चाहिए और दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए। जिस तारीख को फोटो खींची गई है वह फोटो पर स्पष्ट रूप से छपी होनी चाहिए। फोटो पर छपी तारीख के बिना आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे। धुंधली तस्वीर वाले आवेदन भी खारिज कर दिए जाएंगे।
	ख)	जेपीईजी प्रारूप (10 से 20 केबी) में स्कैन किए हुए हस्ताक्षर। हस्ताक्षर का छवि आयाम लगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई) x 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। अस्पष्ट हस्ताक्षर वाले आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
	ग)	पुरुष/महिला की आयु (अर्थात् जन्म प्रमाण पत्र या मैट्रिक/एसएससीएल/10 वीं प्रमाण पत्र) एवं अन्य शैक्षणिक योग्यता के संबंध में पीडीएफ प्रारूप (01 एमबी से अधिक नहीं) में सभी संबंधित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां।
2.	सीआईएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट <a href="https://cisfrect.cisf.gov.in">https://cisfrect.cisf.gov.in</a> पर लॉग इन करें और "अप्लाई पार्ट" टैब पर क्लिक करें।	
3.	नया पृष्ठ खुलेगा और आवश्यक विवरण जैसे 'पंजीकरण संख्या', 'पासवर्ड', 'कैप्चा' भरें और 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।	
4.	पंजीकृत अभ्यर्थी के/ओसुब भर्ती वेबसाइट यानी <a href="https://cisfrect.cisf.gov.in">https://cisfrect.cisf.gov.in</a> में पंजीकरण के समय उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अपने अनंतिम 'पंजीकरण आईडी और पासवर्ड' के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम में लॉग इन कर सकते हैं।	
5.	नया पेज प्रदर्शित होगा और "खेल कोटे के तहत प्रधान आरक्षक (सामान्य ड्यूटी)-2023" के बटन पर क्लिक करें।	
6.	"खेल कोटे के तहत प्रधान आरक्षक (सामान्य ड्यूटी)-2023" के बटन पर क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलेगी जिसमें आवेदन पत्र होगा। पंजीकरण प्रक्रिया के समय अभ्यर्थी द्वारा पहले से भरा गया डेटा/विवरण, आवेदन पत्र में संबंधित क्षेत्रों में स्वतः भर जाएगा। शेष खाली जगह अभ्यर्थी द्वारा भरा जाना चाहिए। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे विवरण बहुत सावधानी से भरें।	
7.	अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण भरने के उपरांत, अभ्यर्थी को नीचे की ओर दो बटन "सेव एवं प्रिव्यू" और "क्लोज" दिखाई देंगे।	
	क)	यदि अभ्यर्थी "सेव एवं प्रिव्यू" बटन का प्रयोग करता है तो नीचे दो अन्य बटन "सबमिट" एवं "एडिट अप्लीकेशन" के नाम से प्राप्त होंगे।
		यदि अभ्यर्थी "सबमिट" बटन का प्रयोग करता है तो आवेदन पत्र सबमिट हो जाएगा।
		यदि अभ्यर्थी "एडिट अप्लीकेशन" बटन का प्रयोग करता है तो अभ्यर्थी डेटा विवरण को एडिट कर सकेगा।
	ख)	यदि अभ्यर्थी "क्लोज" बटन का प्रयोग करता है तो विंडोज बंद हो जाएगी और कोई भी डेटा/विवरण सुरक्षित नहीं होगा।
8.	एक बार आवेदन पत्र पूरी तरह से भर जाने के बाद, घोषणा को ध्यान से पढ़ें और "सबमिट" बटन पर क्लिक करें, यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो आवेदन द्वारा भरे गए सभी डेटा/विवरणों को सहेज लेगा	
9.	तब उपरोक्त क्र.सं.-1(क) में दिए गए निर्देश के अनुसार अपनी नवीनतम फोटोग्राफ (परीक्षा की अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन माह अधिक पुराना न हो) और फोटोग्राफ लेने की तिथि स्पष्ट रूप से अंकित हो) अपलोड करें। वह तिथि जिस दिन फोटोग्राफ लिया गया है वह फोटोग्राफ पर स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए। बिना तिथि के फोटोग्राफ वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। धुंधली फोटोग्राफ वाले आवेदन भी निरस्त कर दिए जाएंगे।	
10.	क्रमांक संख्या - 1 (ख) में यथा निर्दिष्ट अपना हस्ताक्षर अपलोड करें। धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।	
11.	आयु एवं शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण के लिए मैट्रिक/एसएससीएलसी/10वीं प्रमाणपत्र, शिक्षा प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई क्र.सं.-1 (ग) में यथा विनिर्दिष्ट, प्रति अपलोड करें।	
12.	सभी आवश्यक दस्तावेज और फोटो अपलोड करने के बाद, पृष्ठ के नीचे दिखाई देने वाले "पेमेंट" बटन पर क्लिक करें।	
13.	अब 'पेमेंट' विंडो दिखेगी। जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है, उन्हें यह संदेश दिखाई देगा कि आप शुल्क छूट के पात्र हैं और उन्हें 'आवेदन प्रिंट करें' का विकल्प मिलेगा।	

14.	यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त नहीं है तो शुल्क भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।
15.	शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड अथवा यूपीआई अथवा एसबीआई की शाखाओं में एसबीआई चालान जनरेट करते हुए नकद के माध्यम से अदा किया जा सकता है। यदि अभ्यर्थी चालान विकल्प का चयन करता है तो अभ्यर्थी को सर्वर से शुल्क जमा करने के लिए चालान फार्म प्राप्त होता है। चालान फार्म प्राप्त करने के बाद अभ्यर्थी को भारतीय स्टेट बैंक की निकटतम शाखा में जाकर शुल्क जमा करना चाहिए। इसके बाद अभ्यर्थी की औपचारिकता पूरी हो जाती है। बैंक एमआईएस रिपोर्ट जनरेट करेगा और केओसुब को भेजेगा। इस प्रक्रिया में कम से कम 48 घंटे लगते हैं। 48 घंटे के बाद अभ्यर्थी अपने आवेदन की स्थिति का पता कर सकता है।
16.	भुगतान प्रक्रिया पूरी होने के बाद, अभ्यर्थी अपने भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले सकते हैं और इसे अपने पास रख सकते हैं। उन्हें ट्रायल/दक्षता परीक्षण/पीएसटी एवं दस्तावेजीकरण के समय अपनी पात्रता के समर्थन में स्वप्रमाणित दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन का प्रिंटआउट जमा करना होगा।
	<b>चेतावनी :</b>
	<p>क. उम्मीदवारों को सभी पंजीकृत डेटा को ध्यान से सत्यापित करना चाहिए। यदि किसी डेटा का गलत उल्लेख किया गया है, तो उसे "एडिट" बटन पर क्लिक करके संपादित किया जा सकता है।</p> <p>ख. "सबमिट" बटन पर क्लिक करने पर, अब तक दर्ज किया गया डेटा/विवरण सर्वर में सहेजा जाएगा। यदि उम्मीदवार "एडिट" बटन पर क्लिक करता है, तो डेटा/विवरण सहेजा नहीं जाएगा और अभ्यर्थी डेटा को संपादित कर पाएगा।</p>

**भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का पारूप**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* ..... पुत्र/पुत्री श्री .....गाँव/नगर* ..... जो जिला/खंड*..... .....राज्य/संघ शासित क्षेत्र* .....जाति/जनजाति से सम्बंधित है की पहचान निम्न के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में की गई है :-		
@ संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950		
@ संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950		
@ संवैधानिक (अनुसूचित जाति) (संघ शासित क्षेत्र) आदेश, 1951*		
@ संवैधानिक (अनुसूचित जन जाति) (संघशासित क्षेत्र ) आदेश, 1951* (जैसा कि अनुसूचित जाति/जनजाति सूचियाँ ( संशोधन आदेश) 1956 द्वारा यथासंशोधित, बाम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960, 'पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति/जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 1976) मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986, अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986 और गोवा, दमन और दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987)		
@ संवैधानिक (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956		
@ संवैधानिक (दादरा और नगर हवेली ) अनुसूचित जाति आदेश, 1962		
@ संवैधानिक (दादरा और नगर हवेली ) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962		
@ संवैधानिक (पाण्डिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964		
@ संवैधानिक (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967		
@ संवैधानिक (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968		
@ संवैधानिक (गोवा, दमन और दीव ) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968		
@ संवैधानिक (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970		
@ संवैधानिक (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978		
@ संवैधानिक (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978		
@ संवैधानिक (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989		
@ संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990'		
@ संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति ) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991		
@ संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अ अधिनियम, 1991		
@ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002		
@ संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश अधिनियम (संशोधन) 2002		
@ संवैधानिक (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश अधिनियम (संशोधन) 2002		
@ संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश अधिनियम (दूसरा संशोधन) 2002		
@ संवैधानिक (अंडमान व निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथासंशोधित।		
2. ऐसे अनुसूचित जाति/अनु.जन जाति के व्यक्तियों के बारे में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से दूसरे में अप्रवजन कर गए हों।		
यह प्रमाणपत्र श्री/श्रीमती*.....को, श्री/श्रीमती/कुमारी*.....के पिता/माता..... गाँव/नगर*.....जिला/खंड* .....राज्य/संघ शासित क्षेत्र* .....के सामान्य निवासी हैं जो कि ..... जाति/जनजाति* से संबंधित हों जिसे राज्य/संघ शासित क्षेत्र.....द्वारा जारी किए गए .....(जारी करने वाला प्राधिकृत प्राधिकरण का नाम) द्वारा उनकी संख्या .....दिनांक .....को जारी किया गया है।		
3. श्री/श्रीमती/कुमारी* ..... और/अथवा* /उसका* परिवार सामान्य रूप से गाँव/नगर* .....जिला/खंड*..... राज्य/संघ शासित क्षेत्र* .....में रहते हैं।		
स्थान.....		हस्ताक्षर.....
दिनांक .....		**पदनाम..... (कार्यालय की मुहर सहित) राज्य/संघ शासित प्रदेश
*जो शब्द लागू न हो वे हटा दिये जाएं। @कृपया राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का संदर्भ दें । % उस पैराग्राफ को हटा दें जो लागू न हो ।		
टिप्पणी : यहां "सामान्य" रहते हैं शब्द का प्रयोग उसी तरह से किया जाएगा जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में किया गया है।		
**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अपिब के प्रमाण पत्रों को जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची।		
(i) जिला मेजिस्ट्रेट/अपर जिला मेजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वैतनिक मेजिस्ट्रेट/+सब डिविजनल मेजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मेजिस्ट्रेट/कार्यकारी मेजिस्ट्रेट (+प्रथम श्रेणी वैतनिक मेजिस्ट्रेट से पद में कम न हों)		
(ii) मुख्य प्रेसिडेन्सी मेजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसिडेन्सी मेजिस्ट्रेट/प्रेसिडेन्सी मेजिस्ट्रेट		
(iii) राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे का न हो ।		
(iv) उस क्षेत्र के सब डिविजनल अधिकारी जिस क्षेत्र में आवेदक और/अथवा उसके परिवार के सदस्य सामान्यतः निवास करते हैं।		
(v) प्रशासक/ विकास अधिकारी (लक्षद्वीप) के प्रशासक/सचिव		
टिप्पणी:-तमिलनाडु राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजाति के आवेदक केवल राजस्व प्रभाग अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें ।		

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री, श्री..... गांव/नगर.....जिला/प्रभाग.....राज्य/संघ शासित क्षेत्र.....के .....समुदाय से संबंधित है जिसे भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या .....दिनांक.....\* के तहत पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....और/अथवा उनका/उनके परिवार ..... राज्य/संघ शासित राज्य क्षेत्र के जिला/मंडल..... में सामान्य रूप से रहते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पुरुष/महिला, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा.सं. 36012/22/93 स्था. (एससीटी) दिनांक 08.09.1993\*\*, भारत सरकार की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (कीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

दिनांक.....

जिलाधिकारी  
उपायुक्त इत्यादि  
(कार्यालय की मोहर सहित)

\*प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकरण को भारत सरकार के संकल्प के विवरण का उल्लेख करना पड़ सकता है, जिसमें अभ्यर्थी की जाति का उल्लेख अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में किया गया है।

\*\*समय समय पर यथा संशोधित।

**टिप्पणी :-** यहां "सामान्य" शब्द का प्रयोग उसी तरह से किया जाएगा जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में किया गया है।

.....सरकार  
(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आय और परिसंपत्तियों का प्रमाण-पत्र

प्रमाण पत्र सं.....


दिनांक.....

.....वर्ष के लिए मान्य

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....ग्राम/गली.....  
.....डाकघर .....जिला.....पिन कोड.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र .....  
.....के स्थायी निवासी हैं, जिसकी तस्वीर नीचे सत्यापित की गई है, वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित है क्योंकि उस पुरुष/महिला के परिवार\*\* की कुल वार्षिक आय\* वित्तीय वर्ष .....के लिए 8 लाख (आठ लाख मात्र) से कम है। उस पुरुष/महिला के परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई परिसंपत्ति\*\*\* नहीं है :-

- I. 5 एकड़ एवं उससे अधिक कृषि भूमि;
- II. 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
- III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
- IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज से अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो.....जाति से संबंधित हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग (केन्द्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं हैं।



हस्ताक्षर, कार्यालय की मोहर सहित.....  
नाम.....  
#पदनाम.....

\* नोट : 1. आय में सभी स्रोत अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि शामिल हैं।

\*\*नोट : 2. इस प्रयोजन के लिए "परिवार" शब्द में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण के लिए लाभ चाहता है, उस पुरुष/महिला के माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन साथ-साथ उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं।

\*\*\*नोट : 3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण को लागू करते समय विभिन्न स्थानों/शहरों में "परिवार" की संपत्ति को एकीकृत किया गया है।

# आय एवं परिसंपत्ति के प्रमाण पत्रों को जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची

- (i) जिला मेजिस्ट्रेट/अपर जिला मेजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/प्रथम श्रेणी वैतनिक मेजिस्ट्रेट/सब डिविजनल मेजिस्ट्रेट/तालुका मेजिस्ट्रेट/कार्यकारी मेजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त
- (ii) मुख्य प्रेसिडेन्सी मेजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसिडेन्सी मेजिस्ट्रेट/प्रेसिडेन्सी मेजिस्ट्रेट
- (iii) राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे का न हो।
- (iv) उस क्षेत्र के सब डिविजनल अधिकारी जिस क्षेत्र में अभ्यर्थी और/अथवा उसके परिवार के सदस्य सामान्य रूप से निवास करते हैं।

कद अथवा सीने की माप में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी .....पुत्र/पुत्री, श्री .....गांव.....  
तहसील/तालुका.....जिला.....राज्य..... के स्थायी निवासी हैं।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि :-

- ❖ अभ्यर्थी पहाड़ी क्षेत्रों जैसे गोरखा, गढ़वाली, कुमाऊं, डोगरा, मराठा और आदिवासी क्षेत्र का रहने वाला है।
- ❖ उपर्युक्त पुरुष/महिला .....आदिवासी जाति से संबंध रखते हैं।

हस्ताक्षर  
जिला मजिस्ट्रेट/सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

स्थान :  
दिनांक :

❖ जो लागू न हो उन्हें हटा दें।

केऔसुब कार्मिकों सहित सरकारी विभागों/उपकर्मों के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र

“प्रमाणित किया जाता है कि:-

1. श्री/कुमारी/श्रीमती.....केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के अंतर्गत .....के रैंक में एक स्थायी/अस्थायी पद धारक हैं।
2. उन्होंने .....को इस विभाग/अधिकारी के पास अपना आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर दिया है।
3. श्री/कुमारी/श्रीमती.....का केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में नियुक्ति हेतु चयन होने पर उन्हें कार्यभार से मुक्त कर दिया जाएगा।

स्थान :.....  
दिनांक:.....

कार्यालय मोहर के साथ कार्यालय/विभाग प्रमुख के हस्ताक्षर

स्थान :  
दिनांक :

हस्ताक्षर  
कार्यालय प्रमुख का नाम और पदनाम/  
नियंत्रण अधिकारी/इकाई प्रभारी

**टिप्पणी** : सरकारी सेवा में पहले से ही सेवारत अभ्यर्थियों को अपना आवेदन-पत्र उपर्युक्त प्रमाण-पत्र के साथ उचित माध्यम द्वारा प्रस्तुत करना होगा।

Specimen of Photographs

**Acceptable Photograph**



**Samples of photographs which are not acceptable**

Extra Colour



Too close



With hat/cap



**Blur Photographs**



Inverted



Too dark



With goggles



Facing Sideways



Too Small



With spectacles



टिप्पणी : फोटोग्राफ लेने की तिथि फोटोग्राफ पर स्पष्ट रूप से प्रिंट होनी चाहिए। बिना तिथि के फोटो वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।



## प्रपत्र-1

(मान्यता प्राप्त खेलों/खेलकूद गतिविधियों में से किसी एक अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए)  
.....का राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय संघ

**केन्द्र सरकार के अंतर्गत समूह 'ग' सेवाओं में रोजगार हेतु एक उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए प्रमाण-पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री.....  
निवासी.....(पूरा पता) ने देश का प्रतिनिधित्व दिनांक.....से.....तक.....में संपन्न हुई .....प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में किया।

उपरोक्त प्रतिस्पर्धा/टूर्नामेंट में एकल/टीम द्वारा प्राप्त स्थान .....रहा।

यह प्रमाण पत्र .....के राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय संघ के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रदान किया जाता है।

स्थान : .....

दिनांक : .....

हस्ताक्षर.....  
नाम.....  
पदनाम.....  
फेडरेशन/राष्ट्रीय संघ का नाम.....  
पता.....  
मोहर.....

**टिप्पणी** : यह प्रमाण पत्र केवल तभी वैध होगा जब इसे राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय संघ के सचिव द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित किया गया हो।

## प्रपत्र-2

(मान्यता प्राप्त खेलों/खेलकूद स्पर्धाओं में से किसी एक राष्ट्रीय स्पर्धा में भारत के एक राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए)  
.....के खेल में .....का एक राज्य फेडरेशन।

**केन्द्र सरकार के अंतर्गत समूह 'ग' सेवाओं में रोजगार प्रदान करने के लिए एक उत्कृष्ट खिलाड़ी को प्रमाण पत्र।**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री.....  
निवासी.....(पूरा पता) ने दिनांक.....से.....तक.....में संपन्न हुई .....प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में राज्य का प्रतिनिधित्व किया।

उपरोक्त प्रतिस्पर्धा/टूर्नामेंट में एकल/टीम द्वारा प्राप्त स्थान .....था।

यह प्रमाण पत्र .....राज्य संघ के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रदान किया जाता है।

स्थान : .....

दिनांक : .....

हस्ताक्षर.....  
नाम.....  
पदनाम.....  
राज्य संघ का नाम.....  
पता.....  
मोहर.....

**टिप्पणी** : यह प्रमाण पत्र केवल तभी वैध होगा जब इसे राज्य संघ के सचिव द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित किया गया हो।

## प्रपत्र-3

(मान्यता प्राप्त खेलों/खेलकूद स्पर्धाओं में से किसी एक स्पर्धा में अन्तर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में एक विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए)

.....विश्वविद्यालय

केन्द्र सरकार के अंतर्गत समूह 'ग' सेवाओं में रोजगार प्रदान करने के लिए एक उत्कृष्ट खिलाड़ी को प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री.....

निवासी.....(पूरा पता) ने विश्वविद्यालय का

प्रतिनिधित्व दिनांक.....से.....तक.....में संपन्न हुई .....

प्रतिस्पर्धा/टूर्नामेंट में .....खेल/स्पर्धा में किया।

उपरोक्त प्रतिस्पर्धा/टूर्नामेंट में एकल/टीम द्वारा प्राप्त स्थान .....था।

यह प्रमाण पत्र .....विश्वविद्यालय में समग्र प्रभार के अधिकारी अथवा खेलों के डीन के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रदान किया जाता है।

स्थान : .....

दिनांक : .....

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

विश्वविद्यालय का नाम.....

पता.....

मोहर.....

**टिप्पणी** : यह प्रमाण पत्र केवल तभी वैध होगा जब इसे .....विश्वविद्यालय के खेलों के समग्र प्रभार के अधिकारी अथवा खेलों के डीन द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित किया गया हो।

## प्रपत्र-4

(मान्यता प्राप्त खेलों/खेलकूद स्पर्धाओं में से किसी एक में विद्यालय के लिए राष्ट्रीय खेलों में राज्य विद्यालय टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए)

.....राज्य का लोक अनुदेशक/शैक्षणिक निदेशालय

केन्द्र सरकार के अंतर्गत समूह 'ग' सेवाओं में रोजगार प्रदान करने के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ी को प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री.....  
निवासी.....(पूरा पता) ने दिनांक.....से.....  
तक.....में आयोजित स्कूलों के लिए राष्ट्रीय खेलों में.....खेल/स्पर्धा में.....राज्य विद्यालय टीम का  
प्रतिनिधित्व किया।

उपरोक्त प्रतिस्पर्धा/टूर्नामेंट में एकल/टीम द्वारा प्राप्त स्थान .....था।

यह प्रमाण पत्र .....लोक अनुदेशक/निदेशालय के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रदान किया जाता है।

स्थान : .....

दिनांक : .....

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

पता.....

मोहर.....

**टिप्पणी :** यह प्रमाण पत्र केवल तभी वैध होगा जब इसे राज्य के लोक अनुदेशक/शैक्षणिक निदेशालय में स्कूलों के लिए खेल/खेलकूद के समग्र प्रभार के निदेशक अथवा अपर/संयुक्त अथवा उप निदेशक द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित किया गया हो।

CBC 19113/11/0004/2324